महानगर नई दिल्ली गुरुवार 5 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

नागरिकता संशोधन बिल को मंत्रिमंडल की मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। हालांकि कई विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

उधर, असम में विपक्षी दलों सहित कई संगठनों ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए राज्य में व्यापक विरोध-प्रदर्शन की चेतावनी दी। कांग्रेस और एआइयूडीएफ जैसे राजनीतिक दलों के अलावा, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू), असम जटियाटाबादी युवा-छात्र परिषद (एजेवाईसीपी), कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) और प्रमुख साहित्यिक संस्था असम साहित्य सभा (एएसएस) जैसे संगठनों ने कहा है कि वे विधेयक को वापस लिए जाने तक आंदोलन करेंगे।

इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने उम्मीद जाहिर की कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक से जुड़ी पूर्वोत्तर के लोगों की सभी चिंताओं का केंद्र सरकार समाधान करेगी। संगमा ने कहा कि वह कम से कम चार अवसरों पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उन्हें मूल निवासियों की चिंता के बारे में बता चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधन करने वाले इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को बाकी पेज 8 पर

विधेयक शरणार्थी के तौर पर भारत में रहने वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से ज्यादातर लोग हिंदू हैं।

इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

मीडिया से बाते करते केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावडेकर

विधायिका में एससी/एसटी आरक्षण दस साल के लिए बढ़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को और 10 साल के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सरकार आरक्षण की मियाद बढ़ाने के लिए इस सत्र में एक विधेयक लाएगी।

इन श्रेणियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाली थी। सरकार आरक्षण की मियाद बढ़ाने के लिए इस सत्र में एक विधेयक लाएगी। विधेयक को मंजूरी के बाद लोकसभा और विधानसभाओं बाकी पेज 8 पर

दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों पर विधेयक पास

कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख से अधिक लोगों को होगा लाभ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

बुधवार को दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने वाले दिल्ली विधेयक 2019 (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) को ध्वनिमत से पास किया गया। यह कानून केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा में लेकर आए थे। इस कानून को लेकर भाजपा व आप सांसदों के बीच तीखी बहस भी हुई। भाजपा सांसदों ने इस कानून में की जा रही दूरी का ठिठरा दिल्ली की सरकार पर फोड़ा और कांग्रेस की पूर्व सरकार को भी घेरा। सरकार ने स्पष्ट किया कि इसके प्रावधानों के तहत इन कालोनियों में संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार परिवार की महिला सदस्य या महिला के साथ परिवार के किसी पुरुष सदस्य को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। आवासन व शहरी विकास राज्मंत्री (स्वतंत्र प्रभाव) हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि इन कालोनियों में संपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर महिला या उसके पति अथवा परिवार के अन्य पुरुष सदस्य के नाम से संयुक्त रूप से संपत्ति का पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के तहत संपत्ति के पंजीकरण के लिए जो विकल्प मुहैया कराए गए हैं, उनमें परिवार की महिला सदस्य या महिला के साथ परिवार के किसी पुरुष सदस्य के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकरण करने के विकल्प शामिल हैं।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब विकास के वह सभी लाभ मिल सकेंगे, जिनसे वह अब तक वंचित रहे। इसका लाभ ऐसी कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख से अधिक लोगों को होगा। दिल्ली की ऐसी 1731 अनधिकृत कॉलोनियों की डिजिटल मैपिंग का कार्य इसी वर्ष 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाकी पेज 8 पर

106 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आए चिदंबरम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया था। जेल से बाहर आने के बाद चिदंबरम ने मीडिया से कहा कि 106 दिनों तक कैद में रखने के बावजूद मेरे खिलाफ एक भी आरोप तय नहीं किया गया। जेल से बाहर उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे थे। उनके पुत्र कार्ति उन्हें लेने पहुंचे थे। जमानत मिलने के बाद चिदंबरम ने रात में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि वह जेल से बाहर निकलकर खुश हैं।

सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम के सोनिया से मिलने के दौरान उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम भी साथ थे। सोनिया से मुलाकात के बाद चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, 'मैं खुश हूं कि उच्चतम न्यायालय ने मुझे जमानत देने का आदेश दिया। मुझे खुशी है कि मैं 106 दिनों के बाद बाहर आ गया और खुली हवा में सांस ले रहा हूं।' जेल से बाहर आने के बाद चिदंबरम गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय में पहली बार संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

चिदंबरम की रिहाई से पहले उनके समर्थक जेल के द्वार संख्या तीन के बाहर जमा हो गए थे। वहां चिदंबरम के बेटे कार्ति उनका इंतजार कर रहे थे। कार्ति ने कहा कि उनके पिता 106 दिनों के बाद घर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबा इंतजार रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि उसने उन्हें जमानत दी। मैं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पूरे कांग्रेस नेतृत्व का आभारी हूं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया।

इससे पहले आइएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम को राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के इस दावे को स्वीकार नहीं किया कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि इस समय न तो वे राजनीतिक ताकत हैं और न ही सरकार में किसी पद पर आसीन हैं। शीर्ष अदालत ने 74 वर्षीय कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को जमानत पर रिहा करते हुए आदेश दिया कि वे इस मामले में अपने या अन्य बाकी पेज 8 पर

सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद चिदंबरम ने कहा कि वे जेल से बाहर निकलकर खुश हैं।

तिहाड़ जेल से निकल कर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते कांग्रेस नेता चिदंबरम।

सुप्रीम कोर्ट ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर दी जमानत

अदालत ने चिदंबरम को आदेश दिया कि वे मुकदमे के बारे में अपने या सह आरोपी के संबंध में कोई प्रेस इंटरव्यू या सार्वजनिक बयान नहीं देंगे

एलओसी पर हिमस्खलन में चार जवान शहीद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

उत्तर कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास तंगधार में हिमस्खलन की दो अलग-अलग घटनाओं में चार जवान शहीद हो गए। कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में मंगलवार की शाम को सेना की ईगल चौकी हिमस्खलन की चपेट में आ गई। यहां दबे चार जवानों में से तीन के शव बर्फ से निकाले गए। एक जवान को जिंदा बचाया गया। इसके अलावा गुरेज सेक्टर में सेना की पैदल गश्ती टीम बर्फबारी में फंस गई और दो जवान दब गए। उनमें से एक जवान का शव निकाला गया और अन्य एक को बचा लिया गया।

नियंत्रण रेखा के पास तंगधार में बर्फबारी की चपेट में आया सेना का ईगल पोस्ट
गुरेज सेक्टर में सेना की गश्ती टीम बर्फबारी में फंसी, दो जवान दबे

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, तंगधार में मंगलवार की देर रात तक खोज और बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे रोकना पड़ा। बुधवार को फिर से बचाव अभियान शुरू किया गया। यहां दोपहर तक तीन जवानों के शव निकाले गए। बचाए गए चौथे जवान को अस्पताल ले जाया गया। अन्य एक घटना में बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में सेना की गश्ती टीम बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई, जिसमें दो जवान फंस गए। इनमें से एक जवान का शव बाद में निकाला गया। कश्मीर में बफीले तूफान में सेना के जवानों के चपेट में आने की यह चौथी घटना है।

आपस में भिड़े आइटीबीपी के जवान, छह मारे गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में स्थित आइटीबीपी के शिविर में बुधवार की सुबह जवानों के बीच आपसी नोकझोंक के बाद जमकर खून-खराबा हुआ। जवानों ने आपस में अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें छह जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। दो जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें हेलिकॉप्टर से रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत जवानों में दो हवलदार और चार सिपाही शामिल हैं।

नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर कड़ेनार में यह घटना हुई। नारायणपुर के एसपी मोहित गर्ग के मुताबिक, आपस में गोलीबारी होने से छह जवानों की मौके पर मौत हुई। मारे गए जवानों में हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र सिंह (निवासी- ग्राम संदियार, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश), हेड कॉन्स्टेबल दलजीत सिंह (ग्राम जागपुर, जिला लुधियाना, पंजाब), कॉन्स्टेबल मसुदुल रहमान बाकी पेज 8 पर

छत्तीसगढ़ के आइटीबीपी शिविर में मामूली कहा-सुनी के बाद एक-दूसरे पर गोलियां बरसाईं जवानों ने *गंभीर* रूप से दो जवान घायल, हेलिकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया

ईडी ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कसा शिकंजा

चंडीगढ़, 4 दिसंबर (जनसत्ता)।

हुड्डा | ओम प्रकाश चौटाला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अहम कार्रवाई करते हुए हरियाणा के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है।

ईडी ने एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर जमीन घोटाले के आरोप में चार घंटे तक पूछताछ के लिए बिठाए रखा, वहीं जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सिरसा स्थित तेजा खेड़ा फार्म को खंगाल डाला और पंचकूला में उनके एक बाकी पेज 8 पर

भुगतान को लेकर पांच राज्यों ने वित्त मंत्री पर बनाया दबाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया

राजस्व क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी पर चिंता

पांच राज्यों के वित्त मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राज्यों को मिलने वाली राजस्व क्षतिपूर्ति के भुगतान में हो रही देरी को लेकर बुधवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और चिंता जाहिर की।

राज्यों के वित्तमंत्रियों ने जल्द से जल्द भुगतान के लिए दबाव बनाया। इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री व केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल रहे। इन राज्यों के वित्त मंत्रियों ने एक पखवारा पहले वित्त मंत्री को विस्तृत ज्ञापन भेजा था और बाकी पेज 8 पर

सूडान : फैक्टरी में धमाका, 18 भारतीयों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

विदेश मंत्रालय ने हादसे की पुष्टि की, आपातकालीन नंबर जारी किया
चीनी मिट्टी के कारखाने में एक एलपीजी टैंकर में विस्फोट से हुआ हादसा

सूडान की राजधानी खार्तूम के एक कारखाने में विस्फोट होने से 18 भारतीय मजदूरों समेत 23 लोगों की मौत हो गई है।

विदेश मंत्रालय ने इस हादसे की पुष्टि की है और प्रभावित भारतीयों के बारे में जानकारी देने के लिए एक आपातकालीन नंबर जारी किया है। मंगलवार को चीनी मिट्टी के कारखाने सीला सिरामिक फैक्टरी में खड़े बाकी पेज 8 पर

लगातार छठी बार घट सकती है रेपो दर

मुंबई, 4 दिसंबर (भाषा)।

अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक गुरुवार को लगातार छठी बार रेपो दर में कटौती कर सकता है। एक ब्रोकरेज कंपनी ने यह अनुमान व्यक्त किया है। देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 4.5 फीसद रह गई। यह दर पिछली 26 तिमाहियों में सबसे कम रही है।

आस्ट्रेलिया की ब्रोकरेज कंपनी मक्वैरी ने रिजर्व बैंक की चालू वित्त वर्ष की पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, ''मौद्रिक नीति बाकी पेज 8 पर

दरअसल

99 साल के लीज पर 3.7 एकड़ जमीन हस्तांतरित करेगी आइटीपीओ **बदलाव** संचालन के लिए आइटीडीसी और आइआरसीटीसी की एसपीवी गठित

दिल्ली के प्रगति मैदान में बनेगा पांच सितारा होटल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान पर भूमि के मौद्रीकरण (मोनिटाइजेशन) को मंजूरी प्रदान कर दी। वहां एक पांच सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही वहां विश्व स्तरीय प्रदर्शनी व सम्मेलन केंद्र के विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस उद्देश्य के लिए 3.7 एकड़ अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।

प्रगति मैदान के प्रबंधन का काम भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आइटीपीओ) देखता है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि आइटीपीओ उस जगह पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र बनाने की एक बड़ी परियोजना पर भी काम करेगा। आइटीपीओ को प्रगति मैदान पर 99 वर्ष के लीज होल्ड के आधार पर 3.7 एकड़ भूखंड को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया है। पांच सितारा होटल के विकास और संचालन के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम (आइटीडीसी) व भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) एक विशिष्ट उद्देश्य कंपनी 'एसपीवी' (स्पेशल परपज व्हीकल) का गठन करेंगे। 611 करोड़ रुपए के मूल्य पर 99 वर्ष के लीज होल्ड के तहत 3.7 एकड़ भूखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र (आइइसीसी) परियोजना के कार्यान्यवन का कार्य तेजी से चल रहा है और इसके वर्ष 2020-21 तक पूरे होने की संभावना है।

प्रगति मैदान पर होटल निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए एसपीवी आवश्यक कदम उठाएगी, जिनमें लंबी अवधि की लीज के आधार पर होटल के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के तहत तीसरा पक्ष विकासकर्ता व संचालनकर्ता का चयन शामिल है।

प्रगति मैदान के पुनर्विकार का काम समय पर पूरा हो इसके लिए इसके लिए एसपीवी बाकी पेज 8 पर

प्रगति मैदान पर होटल निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए एसपीवी आवश्यक कदम उठाएगी, जिनमें लंबी अवधि की लीज के आधार पर होटल के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के तहत तीसरा पक्ष विकासकर्ता व संचालनकर्ता का चयन शामिल है।

www.readwhere.com

नई दिल्ली

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I. Asharfi Paswan alias Ashvani Kumar S/o Rajender Paswan R/o E-10, Railway QTRS, Pandav Nagar, Patel Nagar, Delhi-110008 have changed my name to Ashvani Kumar for all purpose.
0060071318-2

I,**Ashish** Thapar,S/o MWO Rakesh Thapar R/o-H.No.-D-2, Street. No.5, EastAzad-Nagar, Delhi-110051, have changed my name,from Ashish Thapar to Aashish Thapar vide-affidavit dated 27.11.2019, before-New District-Court-Ludhiana. 0040523026-3

I,**Amandeep** S/O Joginder Singh R/O C-40, Nehru Vihar, Delhi-110054. Have Changed My Name To Aman Deep Singh. 0040523013-3

I,**Ajit** Nair S/o Purushottam Susmera Nair R/o-1035, S-1, Niti Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad-201014,have changed my minor son Name from Rudraksha to Rudraksha Nair. 0040522971-1

I, hitherto known as Sanjeev Kumar@Sanjeev Kumar Aggarwal S/o Sh. Ram Lal R/o-1768, Gali No.131, Shanti-Nagar, TriNagar, Delhi-110035 have changed my name and shall hereafter be known as Sanjeev Kumar Aggarwal.
0040523008-8

I, hitherto known as Rajesh Kumar alias Rajesh Kumar Lavania S/o Ghanshyam Prasad Lavania R/o Flat No.128, Pocket-D, Dilshad Garden, Delhi-110095 have changed my name and shall hereafter be known as Rajesh Kumar Lavania. 0040522953-1

I, Zabbar Ali S/O Hanif R/O-27, B-1 Block, Aman Vihar, Kirari, Suleman Nagar, Delhi-110086. Changed My Name to Jabbar Ali. 0040523013-4

I, Yatharth S/o Mahender Kumar, Residing at-D-202, Swami Dayanand Apartments, Plot.No-5, Sec-6, Dwarka, Delhi-110075 have changed my name to Yatharth Daksh, for all Future Purposes. 0040523008-6

I, Vinod Chopra S/o Mr. Manhor Lal Chopra R/o A-47, Gujran Wala Town, Part-1, Delhi-110009. Have changed my name from Vinod Chopra to Vinod Kumar Chopra for all future purposes. 0040522948-1

I, Vikash Ji Barnwal S/o Sri Madhav Ji Barnwal R/o Flat No. 205, 2nd Floor, Sky Ville Apartment, Anaura, Faizabad Road, Lucknow-226028 UP have changed my name from Vikash Ji Barnwal to VVikas M Barnwall vide Affidavit dated 03/12/2019 before Zahir Ahmad Khan, Lucknow
0060071304-2

I, Vidhi D/O Shri Rajkumar Singh R/O-D-19/1, Chhattar pur-Extension, New-Delhi-110074.Have Changed My Name To Vidhi Raghav,For All Future Purposes.
0040523026-4

I, Usha Dixit W/o Rajesh Kumar Lavania R/o Flat No.128, Pocket-D, Dilshad Garden, Delhi-110095 have changed my name to Usha Lavania for all purposes. 0040522953-2

I, VVikas M Barnwall S/o Sri Madhav Ji Barnwal R/o Flat No 205, 2nd Floor, Sky Ville Apartment, Anaura, Faizabad Road, Lucknow-226028 UP have changed my minor son name from Rudraunsh Barnwal to Ruddra Barnwall vide Affidavit dated 03/12/2019 before Zahir Ahmad Khan, Lucknow
0060071307-2

I, Syed Mohammad Akhalaq S/o Kamil R/o 181, In Paas Of Door Darshan Kendra, Bas Deoria, Ward No .19, Deoria, Uttar Pradesh-274001, have changed my name to Ekhlaq Ahmad for all purposes.
0040522939-1

I, Sushma W/o Hemant Dharni R/o F-314, Piyush Heights, Sector-89, Old Faridabad, Haryana-121002 have changed my name to Sushma Sharma for all purposes.
0040522940-2

I, Sujata Sanyal W/o Deep Chakraborty R/o Baniniketan School Road, PO-Nabapally, PS-Barasat District-24, Parganas North Pin-700126, State-West Bengal, have changed my name to Sujata Sanyal Chakraborty for all purposes. 0040522950-1

I, Sudha Ray W/O-Surya Prakash R/O B-3/497,Duggal-Farm,Tara-Nagar,,Kakrola Dwarka Delhi.Changed My Name To Sudha Roy.
0040523026-5

I, Shuchismita Chakraborty D/O Sh.Samaresh Chakraborty R/O-B-11, Flat No-2, G/F, M.B-Road, Vishwakarma-Colony, Pul Pehladpur, New Delhi-110044 have changed my name to Shuchismita Chatterjee Permanently. 0040522999-10

I, Sarwjeet Yadav R/o Village: Rampur Kodarha, Post: Dalan Chhapra, Ps.: Dokati, Dist. Ballia, State: Uttar Pradesh, Pin-277204, have changed my minor son's name from Vivekjit Yadav to Vivekjeet Yadav for all purposes.
0040522934-2

I, Shikha D/o Hemant Dharni R/o F-314, Piyush Heights, Sector-89, Old Faridabad, Haryana-121002 have changed my name to Shikha Sharma for all purposes.
0040522940-1

I, Savita W/o Tejvir R/o-30/92 Block-30 GaliNo.7 Vishwas Nagar, Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Sunita for all purposes. 0040522999-9

I, Savita Verma W/o Rajender Singh Verma R/o AH-36, Shalimar Bagh, Delhi-110088, my husband's name is wrongly written as R.S. Verma in my MTNL service record. My husband's correct name is Rajender Singh Verma.
0070686642-1

I, Satvinder Singh Seehra S/o Charanjeet Singh R/O 663-75 Saran Jawahar Colony Sec-22, 121005, Faridabad have changed my name from Satvinder Singh Seehra to Satvinder Singh for all purposes. 0040522995-2

I, Sanjay Kumar Paliwal S/o Vishnu Dutt Sharma R/o H-114, New Police Line, Kingsway Camp, G.T.B. Nagar, Delhi-110009 have changed my minor son's name from Vedant Paliwal to Radheyshyam Paliwal for all future purposes. 0040522943-1

I, Sangeeta Agarwal W/o Naveen Kumar R/o House No. 6289, B-9, Vasant Kunj, New Delhi- 110070, have changed my name from Sangeeta Agarwal to Sangeeta Agarrwal for all purposes.
0040522977-1

I, Reena Piple W/o Nitin Sahu Residing at H.No.831/7B, Gali.No.7, Kalkaji, New Delhi-110019, have changed my name to Reena Sahu,for all Future Purposes.
0040523013-1

I, Ravi Raj,S/O-Subhash Chand R/o H.No.158,Gali No.7,Saboli Bagh, Delhi-110093,have changed my name to Ravi Raj Sharma. 0040523026-2

I, Ramesh Peshion S/o Nila Kanth Peshion R/o C-194, Sector-26, Noida inform that Ramesh Peshion, Ramesh Kumar & Ramesh Kumar Peshion is one and the same person & in Future I will be known as Ramesh Peshion for all purposes. 0040522958-1

I, Rajesh Kumar Mishra S/o Subedar Mishra R/o 497/11, Ratan Garden, New Colony, Gurgaon Haryana-122001 have changed my name to Rajesh Mishra 0070686643-1

I, Rajender Prasad S/o Murari Lal R/o A60 Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name to Rajender Gupta for all purposes. 0040522937-1

I, Rahul S/o Ashok Kumar Jha R/o-386, Type-1, Delhi Admin.Flats, Gulabi Bagh, Delhi-110007, inform that name of my father has been wrongly-written as Ashok in my educational documents. The actual name of my father is Ashok Kumar Jha which may be amended accordingly.
0040523008-7

I, Raakhee Mehra W/O Manoj Kumar Mehra R/O 6/1 Old Willingdon Camp Air-Force Station Race Course New Delhi Have Changed My Name To Raakhi Mehra.
0040522999-7

I, Prem Lata W/o Surinder Paul Chinda R/o H.No:J-1, Sec-25, Jal Vayu Vihar Noida UP-201301 have changed my name to Prem Lata Chinda for all purposes. 0040522995-1

I, Pradeep Kumar Gupta S/o-Ram Prakash Gupta R/o-B-1/41, Sector-16, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Pradeep Gupta for all purposes. 0040522985-1

I, Padam Singh S/o Khim Singh R/o-78/79, First-Floor, L Type, Uttam-Vihar, Royal-Gym, Q-Block, Uttam-Nagar, Delhi-110059 have changed my name to Padam Singh Mehra.
0040523008-5

I, Omwati D/o Raj Kumar R/o I-Block, House No. 53, Shakurpur, New Delhi-110034, have changed my name to Annu Kundra for all purposes.
0040522956-1

I, Nishant Kumar Gupta S/o Ashok Kumar Gupta R/o 1708-A,Tower-2B, Panchsheel Wellington, Crossing Republic, Ghaziabad, UP-201016 have changed my name to Nishant Gupta.
0040522991-1

I, Navneet Kumar S/o Bashistha Kumar Mishra R/o-181, Harmony Apartment, Pocket-1, Sector-4, N.S.I.T Dwarka, Delhi-110078 have changed my name to Navneet Kumar Mishra. 0040523008-4

I, Naushaba Parveen W/O Kamal Ahmad Ansari, R/O Rz A-119/120, Gali No-21, SitaPuri Part-1, Palam, South West Delhi, Delhi-110045 Have Changed My Name From Parveen Naushaba To Naushaba Parveen For All Purposes. 0040522999-4

I Amit Pratap S/o Ram Prakash R/o-House.no.N-89-A/3 Amar Market Saurabh-Vihar Jaitpur Badarpur South Delhi-110044. have changed my name from Amit Prtap. 0040522999-5

Be it known that I Gargi Vidyarthi W/o Sanjay Kumar Vidyarthi R/o 1224/8, Badgonda Road, Gawali Palasya, Indore, Madhya Pradesh-453341 have changed my name to Gargee Vidyarthi for all future purposes.
0060071311-2

I, Monika Malhotra W/o Manish Arora R/o G-3/137, Ist Floor, Sec-16, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Radhika Arora for all purposes. 0040522942-1

I, Monika Bhaduria W/o Manish Singh R/o B-1662, Shastri Nagar, Delhi-110052, have changed my name to Monika for all purposes.
0040522933-1

I, Meenakshi Rathore W/O Inder Singh Rathore R/O C-14, Green View Apartment, Sec-9, Rohini, Delhi-110085. Changed My Nameto Minaxi Rathore.
0040523013-2

I, Meenakshi Mishra W/o Sri VVikas M Barnwall R/o Flat No 205, 2nd Floor, Sky Ville Apartment, Anaura, Faizabad Road, Lucknow-226028 UP have changed my name from Meenakshi Mishra to Minaakshi Misshra vide Affidavit dated 03/12/2019 before Zahir Ahmad Khan, Lucknow 0060071306-2

I, Manoj Kumar Mangrolia S/o Chander Bose R/o C-389/9, Gali No.9, Brijpuri, Mustafabad, Delhi-110094 have changed my name to Manoj Kumar for all purposes. 0040522989-1

I, Manoj Kumar Jain S/o M.C. Jain R/o 1/10785, Main Road Subhash Park, Naveen Shahdara Delhi 110032, have changed the name of my minor son Aadi Jain to Manvik Jain for all future purposes. 0040522941-1

I, Km Sona D/o Ram Kishan Garg R/o H.No.218, Sector-29, Noida(U.P.) have changed my name to Sona Garg for all future purposes. 0040523030-1

I, Jagvati Sharma W/o Satish Sharma R/o 140 Rohit Vihar, Saharanpur, have changed my name to Rekha Sharma for all purposes. 0040522936-1

I, Hitesh Kumar Pandey s/o Diwaker Pandey R/o H.No. 317, Block-G, Pocket-6 , Sector-16,Rohini, Delhi-110089 have changed the name of my minor daughter Himani to Hazel Pandey for all purpose (D.O.B .10.09.2015).
0060071319-2

I, Hemant Dharni S/o Ved Prakash Dharni R/o F-314, Piyush Heights, Sector-89, Old Faridabad, Haryana-121002, have changed my name from Hemant Sharma to Hemant Dharni. Informs that Hemant Dharni and Hemant Sharma are one and same person.
0040522940-3

I, Harvinder Singh s/o Bhajan Singh R/o-RZ-132, GaliNo-15, Tughlakabad-Extn. Delhi-110019, Have Changed my name to Harinder Singh,for all future purposes.
0040523026-7

I, HARNEET SACHDEVA W/o Sarvjit Singh R/o S.P-36, D-Park, Pandav Nagar, Opposite Mother Dairy, Delhi-110092 have changed my name to HARNEET KAUR for all purposes. 0040522964-1

I, Fozia R/o-Plot No.862, Flat No.203, Near-Dayanand Park, ShalimarGarden-Ext, Sahibabad, Ghaziabad, have changed my son's name from Mohammad Shaifan Saud to Mohd Shifan Saud.
0040523008-2

I, Dilpreet Kaur Sawhney W/O-Nirmal Singh Sawhney, R/O-A92, Narang-Colony, Janak Puri New Delhi. Have Changed My Name To Dilpreet Kaur,For All Purposes 0040523026-1

I, Deepika Dahiya,W/o-Saurabh Sanwal, R/O-E-1/8/30, Sec-15, Rohini, New Delhi-110089, have changed my name to Deepika Sanwal for all purposes. 0040522947-1

I, Chand Singh Verma S/o Kewal Singh R/o TU-12, 3rd Floor Pitampura Delhi-110034. have changed my name to Chand Singh. 0040523008-1

I, Ashok Kumar, Ashok Kumar Singh Yadav and A.K. Singh S/o Shri Chaudhary R. S. Singh R/o. 511,1st Floor, Shakti khand-3, Indirapuram, I.E. Sahibabad, Ghaziabad, U.P. 201014 have changed my name from Ashok Kumar, Ashok Kumar Singh Yadav and A.K. Singh to Ashok Kumar Singh for all future purposes 0040522996-1

I, Arvind S/o Puran Singh R/o E-8-C, Bhagwati Garden Extension, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to ARVIND BHANDARI. 0040522929-1

I, Anjana Kumari Shaberwal R/o C2-406, PWO Housing Society, Sector 43, Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name to Anjana Narwal. 0070686633-1

I, Amit Sethi S/o Suresh Chander Sethi R/o-8 Chinar Drive-DLF, Chattarpur-Farms New-Delhi-110074, have changed my name to Amit Suresh Sethi. 0040523026-6

I Keshav Karan S/O Ashok Kumar Aggarwal R/O- A-43 Swasthya vihar Delhi-110092, changed my name to Keshav Karan Aggarwal. 0040522999-3

I Bhibender Kumar Sharma R/o A -40/D Paschim Puri, New Slum Qtrs, West Delhi-110063 Have Changed My Name To Bhivender Kumar Sharma For All Purposes 0070686616-1

I Apoorva D/o Sh.Ashok Prasad Shah W/o Sh.Randhir Keshri R/o Block-AU, Flat No.8, Near Haider Pur Police Colony, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Apoorva Keshri for all purposes.
0040522931-2

व्यक्तिगत

सूचनार्थ मैंने अपना नाम खान शरीक साबिर से बदलकर अब मो. शरीक खाँ रख लिया है। मुझे अब इसी नाम से जाना पहचाना जायेगा। मो. शरीक खाँ पुत्र स्व. मो. साबिर खाँ 480/83ए सीतापुर रोड, बाग शाह जी खदरा निरालानगर, लखनऊ

I, Amit Chopra S/o Mr. Vinod Kumar Chopra R/o A-47, Gujran Wala Town, Part-1, Delhi-9, have changed my name to Amit Dev Chopra for all future purposes.
0040522945-1

I hitherto known as Kiran Paliwal D/o Sh. Devki Nandan Paliwal W/o. Sh. Jagdish Joshi residing at RZC-10/9, Gali No.21, Sadh Nagar, Palam Colony, New Delhi-110045 have changed my name and shall hereafter be known as Kiran Joshi. 0040522949-1

I, Aliyakhatoon Khan D/o Muzafferullah R/o 149/150, Top Floor, Lane 10, Zakir Nagar, Delhi-110025, informs that my names Aliyakhatoon Khan, Aliya Khatoon Khan, Aliya Khatoon Sherwani and Aliya Sherwani are all same and one person that is me. My correct name for documentation purpose in future will be Aliyakhatoon Khan.
0040522967-1

I, Gurprit Singh S/o Makan Singh Ghai R/o HP-148, Pitam Pura Delhi-110088 have changed my name to Gurpreet Singh Ghai.
0040523008-3

I, Harmeet Singh S/o Gurdeep Singh Sethi R/o C-101, Inderpuri, Delhi-110012, have changed my name to HARMEET SINGH SETHI.
0040522951-1

I, Akash Deep R/o S-682/683, School Block, Gali No.8, Near Railway Line Shakurpur Delhi-110092 have changed my minor son's name from Akshdeep Sharma to Aarav Vats for all purposes.
0040522946-1

I Waliullah S/o Mohd Ekramul Haque R/o D-236, 3rd Floor, Abul Fazal Enclave-1, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-25 have Changed my Name From Waliullah to Waliullah Mohd Ekramul Haque for All Future Purposes. 0040522954-1

I Vir Abhimanyu Dewan S/o Late Darshan Lal Diwan R/o A-9A/3, Vasant Vihar, New Delhi is also known as V.A. Dewan. Both names are of one & the same person.
0040522931-3

I Vipul S/o Vijay Makhija R/o 510/23, Lakshmi Garden, Near Tikona Park, Gurgaon, Haryana-122001, have changed my name to Vipul Makhija. 0070686645-1

I Romita Kataria W/O Pramod R/O-Flat No-1140, Sector-A, PKT-B&C, VasantKunj, New Delhi-110070 Have Changed my Name to Romita Anand Kataria. 0040522999-1

I Rakesh S/O Subhash Chander Vpo Khaira Gali.No.14 ,near-Chandra Gas Agency Godam Khaira Najafgarh New Delhi-110043 I Changed My Minor Son's Name From Akash to Aakash. 0040522999-6

I Mahander Kumar S/O Laxman Dass, H.No.Y-193-194, Camp No-1, J.J. Colony, Nangloi, Delhi-110041 Have Changed my Name to Mahender Kumar.
0040522999-2

I Madan Kumar S/O Omprakash, House Number 15, Gali-13 Sanjaynagar Mahindrapark Adarshnagar Delhi-33 Dohereby Solemny Affirm And inform that Madankumar and Madankumar Singhal is one and same Person.
0040522999-8

I Km.Geeta Rani Garg D/o Late Sh.Sunder Lal Garg W/o Sh.Mukesh Goyal R/o I-35/7A, Gali No.10, I-Block, Braham puri, Delhi-110053 have changed my name to Anita Goyal for all purposes.
0040522931-1

I, Munna Lal S/o Chhedi Lal Agrawal R/o Moh.agrawal Sasni, Sasni **, Hathras, UP-204216, have changed my name to Munna Lal Agrawal for future. 0040519848-6

I, Asheesh Agrawal S/o Munna Lal Agrawal R/o H.No. G-3/GF/10E, Judge Colony, near Apex green, Sector-9, vaishali, Ghaziabad, UP-201010, have changed my name to Ashish Kumar Agarwal for future.
0040519848-5

PUBLIC NOTICE

My Clint SHRI KISHAN SON OF SHRI RAM SWARUP R/O M-702, MANGOL PURI, NORTH WEST, DELHI-110083, have debarred his son YOGESH KUMAR, from his/her entire moveable and immovable properties, and have severed all relation from YOGESH KUMAR due to his/her misconduct, bad behavior, bad company and bad intentions, Any person dealing with YOGESH KUMAR or severally shall be doing so at their own risk, cost and responsibilities. My client shall not be responsible in any manner for any kind of legal-illegal act, deed done by him.

Sd/-
SURENDER KUMAR
En.No. D/152/88, (Advocate)
Shop No. RU-6, Pitam Pura, Delhi
Mob- 9811517537,9213597617

सार्वजनिक सूचना

मैं धीरज गौतम अधिवक्ता चैम्बर नं० 826, लोयर्स बिल्डिंग, द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली –110075 के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे दोनों मुवक्किल श्री गुल मोहम्मद उम्र 63 साल पुत्र स्वर्गीय श्री लाल मोहम्मद और श्रीमती फातिमा बेगम उम्र 65 साल पत्नी श्री गुल मोहम्मद, पता: T-A हाउस नं० 283, गली नं० 5, तुगलकाबाद एक्साटेंशन, साउथ दिल्ली–110019 अपने बेटे श्री इरफान उम्र 40 को अभी इसी समय से अपने सारे रिश्ते खत्म करते है और उसे अपनी चल और अचल सम्पति से भी हमेशा के लिए बेदखल करते है। मेरे दोनों मुवक्किल भविष्य में इरफान द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के कृत्य, व्यवहार, व्यापार या किसी करार, के संधर्भ में किसी भी व्यक्ति या कंपनी के लिए उत्तरदायी नही होंगे।

धीरज गौतम
अधिवक्ता

खोया+पाया

I, Chanakya S/o V.K Singh R/o-104A sonaphul apartment nalanda-colony ashiyan-nagar patna-800032. have lost my original certificate Class-10th(2005) Rollno-6169204 class-12 (2007) Rollno-6260963 CBSE- Delhi. 0040523013-7

I, Nisha Gandhi D/O, B. N. Chawla R/o B-33, first floor Apoorva CGHS Ltd Plot no-14, Sector-5 Dwarka, Delhi-78, have lost my share certificate with membership no-321, for Apoorva CGHS, Dwarka, Delhi-78, LR no-1949361/019.
0040522983-1

I, Nitin Gupta S/o Satish Kumar Gupta R/o DDA SFS Flat No. B-191, Sheikh Sarai Phase-1, New Delhi-110017 have lost my Original Possession Letter and Possession Slip of above address, issued by DDA in favour of Rajinder Singh Sawhney. Finder contact 9811333293. 0040522935-1

I, Sachin Srivastava S/o Harish Kumar R/o-A-33 Street No.4, Kaithwara Shastri Park, Seelampur Delhi-110053 lost my X-Pass Certificate Year-2009 RollNo.6332608 CBSE-Delhi. 0040523013-6

I, Sofia D/o Rafi Ahmad Address- C-303 Old seemapuri Delhi-110095. have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8167469 CBSE- Delhi 0040523013-8

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate and marksheet of main secondary Examination of Year 1999 and Roll No.6384600 issued by C.B.S.E has been actually lost. Name of the candidate Yogesh Singh Bisht R/o RZG-76, Vijay Enclave, Gali No.2, Palam Village, Delhi-110045, Mobile No.8285329179. 0040523013-5

I, Atul Mohan Gupta S/o Surender Mohan, PNB, CO South Delhi, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, New Delhi-8, have lost my document GBPA-29479. LR no-1951675/019. If found please return. 0040522944-1

Public Notice

Lost my original DDA Possession Letter, NOC for Water and Electric Connection against my Flat No-75, Pocket-B-6, Sector-4, MIG, Rohini, Delhi-110085. Finder may Contact-Vijay Kumar Sharma at A-61, Hill Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi-110085. # 9990092954

PUBLIC NOTICE

"My client Smt. Saroj Devi Aggarwal W/o Sh. Vijay Kumar Aggarwal R/o E-82/83-B, Part-1 Chanakya Place 40 foot Road, Gurudwara, Janakpuri West New Delhi-110059 and my client is the absolute owner of property bearing no. Plot No. D-9, out of Khasra No. 18/11, Village Asalatpur Khadar, Chanakya Place, Part-1, Block D, New Delhi-110059 (Area 161 sq. yds.). My client is going to mortgage this said property in the name of AU SMALL FINANCE BANK LIMITED. If anyone having any objection regarding the above said property, please contact me within 5 days."

Sd/-
JASPREET SINGH
(ADVOCATE)
Ch. No. C-2, C. L. Joseph Block,
Tis Hazari Court, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

It is for general public information that my client Ranjit Singh S/o Dip Singh R/o : Village - Khadana, H.No.- 298, Tehsil- Anoopshahr, Dist.- Bulandshahr, Pin Code- 202394, has debarred, disowned and break down all the relationship from their son namely Surendar Singh, from their all movable and immovable properties either self – acquired or ancestral situated all over India due to his misconduct, disobedience and misbehave attitude. My Client will not be responsible in future for his acts, omissions, dealings etc. with immediate effect.

Nitin Singh Teotia (Advocate)
Chamber 252, Patiala House Court
New Delhi - 01 M : 9910860008

सार्वजनिक सूचना

यह कि मेरे मुव्किलगण तेजपाल पुत्र स्व. श्री बुद्धन सिंह व श्रीमती रामो पत्नी श्री तेजपाल निवासीगण गांव रीवड, पोस्ट मंडकौला, तहसील हथीन जिला पलवल का पुत्र छतरपाल उम्र 30 वर्ष व उसकी पत्नी श्रीमती आकांक्षा उम्र करीब 30 साल मेरे मुव्किलगण के कहने में नहीं है ना ही कोई बात मानते हैं, मेरे मुव्किलगण की किसी प्रकार की सेवा सहायता नहीं करते, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमारे समझाने पर हमारे साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच करते हैं और हमें झूठे केसों में फंसाने की धमकी देते हैं इसलिए मेरे मुव्किलगणों ने दोनों से अपनी सभी सम्बन्ध समाप्त कर लिए हैं तथा दोनों को उनके गलत व्यवहार के कारण अपनी तमाम चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में जो भी व्यक्ति दोनों से किसी प्रकार का लेन–देन, व्यवहार, सम्बन्ध या ताल्लुक वास्ता रखेगा या व्यवहार करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेवार होगा मेरे मुव्किलगण व उनके परिवार के अन्य सदस्यों की कोई जिम्मेदारी ना होगी।

हस्ता./–
सतीश कुमार भडाना एडवोकेट
फरीदाबाद
Chamber No. 142, First Floor, Lawyers' Chamber, District Courts Sector-12, Faridabad

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Mrs. Saroj Takkar aged 55 years, wife of Late Shri Krishan LAl Takkar, Resident of 100/2, Govind Puri, Kalkaji, New Delhi-110019, has dis-owned her son Shri Manish Takkar and his wife Mrs Vishakha Takkar. Shri Manish Takkar and his wife Mrs Vishakha Takkar has no right, title or interest in any of my properties moveable or immoveable, whatsoever and wheresoever. My client has/shall have absolutely no liability for any act, deed or things committed by Shri Manish Takkar and his wife Mrs Vishakha Takkar on any account whatsoever.

Kanchan Khurana (Advocate)
Chamber No.-67, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL CONCERNED that my clientess Smt. Bimla W/o Late Sh. Sat Pal, R/o H.No. 455-456, 4th Floor, Madangir, New Delhi-110062 have no connection with her son namely Ravi and his wife Smt. Savita. By this notice my above named clientess hereby disowns and debars the abovesaid her son and his wife from inheriting the rights, titles, interests and liens etc. in respect of her self-acquired or inherited properties including all movable and immovable assets. Henceforth she and any of their issue/child shall have no claim or interest in her moveble or immovable properties.
My clientess will not be responsible for any acts and deeds of above named son and his wife. Anyone dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk, cost and consequence.

Sd/-
Mohd. Asif (Adv.)
Delhi High Court
D/951/2011

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री चतरपाल व उनकी धर्मपत्नी श्रीमति ज्ञानवती पता सी–1/40, सुल्तानपुरी दिल्ली व गांव गडरियन पुरवा, मजरेखास, मऊ, पो. खास मऊ, थाना खागा, जिला फतेहपुर, उप्र, ने अपने दोनों पुत्र राकेश कुमार, राजेश कुमार एवम उनकी पत्नियां शिवानी, सीमा देवी को उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पति से बेदखल कर उनसे सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। अब उनके किन्हीं भी कृत्यों व लेन देन के लिए मेरे मुवक्किल उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./–
संदीप कुमार
अधिवक्ता
Ch. NO. 802,
Lawyers Chamber Block,
Rohini Court, Delhi-110085

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल गंगा विशन पुत्र स्व. मानसिंह निवासी– 4/2286, गली नं. 3, 4, बिहारी कालोनी, शाहदरा, दिल्ली–32 ने अपने बेटे विशन कुमार मान उर्फ विटटू के अभद्र व्यवहार के कारण इससे सभी सम्बन्ध–विच्छेदकर इसे अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, अपने कार्यों/लेन देन का वह स्वयं जिम्मेवार होगा, मेरे मुवक्किल तथा परिवार का अन्य सदस्य जिम्मेवार नहीं होगा।

पवन चौधरी
एडवोकेट
EN.-D-2235/2004

PUBLIC NOTICE

It is for the general public information that my client Mrs. Harjinder Kaur W/o Mr. Amrik Singh, R/O BW-24D, Shalimar Bagh, New Delhi-110088 has debarred, disown and break down all the relationship from her son namely Mr. Manjeet Singh Arora & his wife Mrs. Mandeep Kaur, from their all moveable and immoveable properties either self-acquired or ancestral situated all over India due to his misconduct, disobedience and misbehave attitude. My client will not be responsible in future for his acts, omissions, dealings etc. with immediate effect.

Madan Gopal Vacher, Advocate
Ch. 234, Civil Wing, Tis Hazari Court, Delhi

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Virender Singh S/o Jaipal Singh residing at A-44, Shiv Vihar, Nilothi Extn., New Delhi-110041 declare that name of mine, my minor son, my wife, has been wrongly written as Virender Aggarwal, Kartik Aggarwal, Shashi Aggarwal in school records in my minor son's Kartik age 16 years. The actual name of mine, my wife, my minor son are Virender Singh, Shashi, Kartik respectively Which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Virender Singh S/o Jaipal Singh residing at A-44, Shiv Vihar, Nilothi Extn., New Delhi-110041 declare that name of mine, my father, has been wrongly written as Veerender Singh, Virender, Birender Singh, father's Jaypal Singh in my pan card, voter ID, driving license. The actual name of mine, my father are Virender Singh, Jaipal Singh respectively Which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Janvi D/o Virender Singh residing at A-44, Shiv Vihar, Nilothi Extn., New Delhi-110041 declare that name of mine, my father, my mother, has been wrongly written as Janvi Aggarwal, Virender Aggarwal, Shashi Aggarwal in my educational documents. The actual name of mine, my father, my mother are Janvi, Virender Singh, Shashi, respectively Which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **RAJENDRA SINGH** son of **Harfool** residing at 188, **Panchi Dhikauli, Baghpat, Uttar Pradesh-250515**, declare that name of mine has been wrongly written as **RAJENDRA and HARAPHUN respectively** my Pan Card No. **AQJPR3044E.** The actual name of my mine is **RAJENDRA SINGH**, and my father's name is **HARFOOL** respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Upon instructions from and on behalf of my client JASMEET SINGH son of Late Sh. Variyam Singh R/o 17/6, Punjabi Bagh Extension, New Delhi-110026, I serve you within the following legal notice:
I have dispossessed my daughter KIRANDEEP KAUR w.e.f. 04.12.2019 from all my movable and immovable properties/assets and business for personal reasons. I hereby nominate you Mr. Abhishek Kishore, advocate to get the dispossession notice issued in the newspapers on my behalf and also to fulfill legal formalities including issuance /publication of the legal notice for dispossession in the newspapers and to take all necessary steps in regard with the aforesaid.

Abhishek Kishore, Advocate
427, Lawyers Chambers
Patiala House Courts
New Delhi-110001

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल अगनू सिंह एवं आशा देवी धर्मपत्नी अगनू सिंह, पता E-5/417, गली नः–8, नेताजी सुभाष मोहल्ला, पांचवा पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली–110094 ने अपने पुत्र धर्मराज व उसकी धर्मपत्नी नीलम के दुर्व्यवहार एवं गलत आचरण के कारण अपनी चल–अचल संपत्ति से बेदखल कर संबंध–विच्छेद कर लिए हैं इनके किसी भी कृत्य हेतु मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होंगे।

VIPIN KR. RAGHAV
(Advocate)
En No. D-1884/2010

The Indian EXPRESS
Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

M. PURI
ONLINE
GS PAPER 2
ADMISSIONS OPEN in the latest batch
100+ LECTURES UPDATED WITH LATEST CURRENT AFFAIRS
A course without which your GS Paper 2 preparation is incomplete
Stellar IAS ACADEMY
Your Ambition Our Guidance
www.stellariasacademy.online
CALL: 99152-14599

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए खुशखबरी
दिल्ली सरकार की 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के अंतर्गत
8 लाख रूपये तक वार्षिक आय वाले अभ्यार्थियों के लिए
FREE COACHING / निःशुल्क कोचिंग
IAS PCS SSC BANK
RAILWAYS, LIC MBA/BBA/CLAT, PROFESSIONAL COURSES ETC.
SC/ST/OBC/GENERAL ASPIRANTS
- Interested 10th, 11th & 12th, Graduate Pass, or Final Year Eligible Students for Particular Exam. may apply with their complete application form, 3 photograph, Current Income Certificate (not more than 8 lakh per annum), Category certificate, Aadhar Card and Educational Qualification certificates.
- Stipend Rs. 2500/- per month.
- Only Students belonging to SC/ST/OBC/GENERAL Category Residing in Delhi & who have passed 10th & 12th class from the school in Delhi from Govt. or Private School.
Career Plus EDUCATIONAL SOCIETY
Last Date 14.12.2019
301/A-37, 38, 39, Ansal Building, Comm. Comp., MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
011-42705373, 9891086435, 9811069629
E-mail : contact@careerplusgroup.in • Website : careerplusgroup.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

भीड़ हिंसा को लेकर आइपीसी व सीआरपीसी पर मंथन जारी : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भीड़ हिंसा के लिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव के लिए मंथन चल रहा है। केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है और कमेटी प्रावधानों के बदलाव को लेकर विचार विमर्श कर रही है। कमेटी इस मामले में जो सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगी, उसे सरकार लागू करेगी।

अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून संशोधन के मामले में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों से संबंधित आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञों और लोक अभियोजकों को एक पत्र भेजकर सुझाव एकत्र करने की पहल की गई है। इस कार्य के लिए पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति आइपीसी और सीआरपीसी में बदलाव के लिए विचार कर रही है। सभी पक्षों के सुझाव मिलने के बाद केंद्र सरकार कार्रवाई करेंगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

वहीं भीड़ हिंसा के मामले में एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि मणिपुर और राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श की प्रक्रिया अभी च

महिला सांसदों को मालीवाल की चिट्ठी, न्याय के लिए लगाई गुहार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

महिला सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार को भी दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का धरना प्रदर्शन समता स्थल पर जारी रहा। बुधवार को उन्होंने सभी महिला सांसदों को एक पत्र भेज संसद में महिलाओं की आवाज उठाने की मांग की। उनकी मांग है कि बलात्कार के दोषियों को छह महीने के भीतर फांसी की सजा दी जानी चाहिए।

उन्होंने महिला सांसदों से डीसीडब्ल्यू की मांगें पूरी करने का आश्वासन मांगा। इससे पूर्व स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। जंतर मंतर से स्थान बदलने के बाद समता स्थल पर सुबह से ही उनके समर्थन में महिलाओं के आने का सिलसिला जारी था। महिलाएं तख्ती लेकर केंद्र सरकार से ऐसे मामलों में सख्त कानून की मांग करती दिखी। सांसदों को लिखे पत्र में स्वाति मालीवाल ने हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या, राजस्थान में छह साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले का जिक्र किया।

संस्था ने पुलिस बल के डिजिटलीकरण और ऐसे मामलों में पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर के निर्माण पर भी जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर महिला सांसद संसद में इस मुद्दों को नहीं उठा सकतीं तो वे उनकी भूख हड़ताल की जगह पर आ सकती हैं। पत्र में उन्होंने लिखा कि पिछले तीन साल में डीसीडब्ल्यू ने 55 हजार मामले सुने, 181 हेल्पलाइन पर 2.15 लाख फरियाद सुनी, 75 हजार दौरे किए, 33 हजार अदालती मामलों में पीड़िताओं की सहायता की, 11 हजार सलाहाकार सत्र चलाए और 200 से अधिक सलाह केंद्र स्थापित किए। इतना सब करने के बावजूद जब देश की बेटियों से बलात्कार होता है तो यह सुनकर बुरा लगता है।

दस दिन में 4204 पानी के नमूने लिए, सब पास : जल बोर्ड

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दिल्ली में पानी पर मचे बवाल के बीच सरकार ने जल बोर्ड का पानी साफ होने का दावा किया है। बुधवार को जल बोर्ड उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने बताया कि जल बोर्ड ने 10 दिन में विभिन्न इलाकों से 4204 पानी के नमूने लिए थे। इनमें से 4128 पास हुए हैं। दिल्ली के पानी पर बीआइएस की रिपोर्ट दिल्ली सरकार को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश थी। हमारी जांच में सिर्फ 76 सैंपल ही असंतोष जनक पाए गए हैं। इसमें 98.19 फीसद पास और 1.81 फीसद फेल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि डब्लूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार पांच फीसद सैंपल फेल होने की छूट है।

दिनेश मोहनिया ने बतया कि बीआइएस की रिपोर्ट के बाद से ही दिल्ली भर से पानी के नमूने उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार कहा जा रहा है कि दिल्ली का पानी पीने योग्य नहीं है और पानी जहरीला है। उन्होंने इसे दिल्ली को भी बदनाम करने की साजिश बताया। इस प्रक्रिया में जल बोर्ड ने सभी संस्थानों से पानी के नमूने उठाए हैं। गंदे पानी को भाजपा अपना हथियार बना रही है। इस मामले में लगातार धरने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करा रही है। इसी मुहिम के तहत बिजवासन क्षेत्र में भी लोगों ने गंदे पानी की बोतलों के साथ प्रदर्शन किया। इसकी अगुआई दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मनजीत लोचव ने की।

एसबीआइकैप ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड
SBICAP Trustee Company Ltd.
6ठी मंजिल, एपीजे हाउस, 3, दिनशा रोड, वाछा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020, कार्यालय : (022) 4302 5523

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना (प्रतिभूत आस्तियों हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में एसबीआईकैप ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार अटलांटा लिमिटेड, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता : 101, श्री अम्बा शान्ति चैम्बर्स, सामने होटल लीला, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई, 400059, तथा इसके जमानती/बंधककर्ताओं 1) श्री रिकिन राजू बरोत, निवासी बी-22, आशीर्वाद, वी.एम. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400049, 2) श्री राजू अम्बालाल बरोत, निवासी बी-22, आशीर्वाद, वी.एम. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400049, 3) श्रीमती रिधिमा अम्बालाल बरोत, निवासी बी-22, आशीर्वाद, वी.एम. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400049, 4) सुश्री पूजा रिकिन बरोत, निवासी बी-22, आशीर्वाद, वी.एम. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400049, 5) सुश्री भावना राजू बरोत, निवासी बी-22, आशीर्वाद, वी.एम. रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400049 को 31.05.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 203,04,39,422.64 (रुपये दो सौ तीन करोड़ चार लाख उनतालीस हजार चार सौ बाईस एवं चौंसठ पैसे मात्र) अर्थात (भारतीय स्टेट बैंक का रु. 78,45,46,860.72/-, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का रु. 39,05,13,168.70/-, कॉर्पोरेशन बैंक का रु. 26,93,51,215.37/- तथा बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व का देना बैंक) का रु. 58,60,28,177.85/-) तथा 01.06.2019 से उस पर भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभारों आदि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 30.03.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों पर 3 दिसम्बर, 2019 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा प्रतिभूत आस्तियों के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 203,04,39,422.64 (रुपये दो सौ तीन करोड़ चार लाख उनतालीस हजार चार सौ बाईस एवं चौंसठ पैसे मात्र) अर्थात (भारतीय स्टेट बैंक का रु. 78,45,46,860.72/-, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का रु. 39,05,13,168.70/-, कॉर्पोरेशन बैंक का रु. 26,93,51,215.37/- तथा बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्व का देना बैंक) का रु. 58,60,28,177.85/-) की राशि 01.06.2019 से उस पर भावी ब्याज, लागतों आदि के लिए एसबीआईकैप ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण :

1. अचल सम्पत्ति हेतु प्रथम बंधक परिसर का विवरण
द्वारका आवासीय योजना, द्वारका कॉलोनी, नई दिल्ली पर स्थित तथा दिल्ली नगर निगम की सीमा में सेक्टर-10 में फ्रीहोल्ड बिल्ट अप सम्पत्ति सं. 20, 'आकाश तक छत/टेरेस के अधिकार सहित नीचे से ऊपर तक' भूमि की माप 325.54 वर्ग मीटर, जिसकी सीमा : उत्तर : प्लॉट सं. 21, दक्षिण : प्लॉट सं. 19, पूर्व : प्लॉट सं. 41, पश्चिम : सड़क है।
साथ ही इसमें निर्मित/निर्मित होने वाले वाले समस्त भवन एवं संरचनाएँ/उत्थापन तथा इस पर उत्थापित/संस्थापित या उत्थापित की जाने/संस्थापित की जाने वाली समस्त संयन्त्र, मशीनरी एवं अन्य फिक्सचर तथा उसके समस्त भाग, जो भूमि से सम्बद्ध हैं तथा भूमि से सम्बद्ध किसी चीज से जुड़े हैं।

2. द्वितीय बंधक चल आस्तियों का विवरण
कर्जदार के ऋणग्रस्तहीन चल सम्पत्तियों तथा चल संयन्त्र एवं मशीनरी, चाहे वे भूमि से जुड़ी हों या न जुड़ी हों सहित विशेष रूप से उपकरण वित्तपोषकों को प्रभारित के अतिरिक्त सीमाहीन आस्तियाँ, जेनरेटर, सामग्रियों की ढेरी लगाने वाले उपकरण, ट्रक, डम्पर, क्रेन, टैंक, इलेक्ट्रिक सिस्टम, हार्डवेयर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे, मशीनरी कलपुर्जे, औजार, फर्नीचर, फिक्सचर, मीटर, मोटर वाहन, एसेसरीज, परियोजना में पड़ी हुई अथवा भण्डारित हैं या भण्डारित की जानी हैं अथवा इसका भाग बनाने के लिए रखी हैं, वेयरहाउस, कर्जदार या कर्जदार के किसी एजेन्ट, सम्बन्धी, सहयोगियों अथवा प्रतिनिधियों के स्टॉकयार्ड तथा गोदाम या किसी स्थान या स्थानों पर विभिन्न कार्यस्थल, ये जहाँ कहीं भी स्थित हों, वर्तमान तथा भविष्य दोनों स्थितियों में, का समग्र या एकल रूप से समस्त अधिकार, स्वामित्व, हित तथा लाभ।

3. तृतीय बंधक चल आस्तियों का विवरण
कर्जदार के वर्तमान या भावी समस्त बैंक खातों के परिप्रेक्ष्य में, इसके तहत, इसके प्रति कर्जदार के समस्त अधिकार, स्वामित्व, हित, लाभ, दावे तथा माँग जो कुछ भी हो, ट्रस्ट तथा धारित खातों के उप खातों तथा/अथवा किसी प्रतिस्थापन सहित ट्रस्ट एवं रिटेंशन एकाउण्ट में धारित अथवा उसके किसी उपखाते या किसी वित्तपोषक दस्तावेजों अथवा अन्य अनुबन्ध के तहत कर्जदार द्वारा सृजित होने के लिए वांछित अन्य खातों, समस्त धन, प्राप्तियों एवं नकदी सहित, भुगतान खाते, ट्रस्ट तथा रिटेंशन एकाउण्ट या किसी उपखाते अथवा इसके किसी अन्य खाते में प्रचालनात्मक नकदी प्रवाह तथा ऐसी अन्य समस्त आस्तियाँ तथा प्रतिभूतियाँ जो ऐसे खातों पर समस्त राशियों का प्रतिनिधान करती हों तथा समस्त धन, प्रतिभूतियाँ, लेखपत्र, निवेश एवं अन्य जमा, साखकृत या जमा की जाने वाली सम्पत्तियाँ अथवा ऐसे खातों में जमा या साख के लिए रखी या ऐसे खाते में जमा करने योग्य अथवा ऐसे खातों में जमा करने के लिए रखी या ऐसे खातों में साख के योग्य राशियाँ।

4. चतुर्थ बंधक चल आस्तियों का विवरण
समस्त हित, परिसमाप्त क्षतियों, पूर्वभुगतान या छूट पर प्रीमिया, लागत, प्रभार, व्यय तथा अन्य समस्त राशि जो कुछ भी उल्लिखित हों, या वित्तीय दस्तावेजों के सन्दर्भ में कर्जदार द्वारा देय हों, कर्जदार की वर्तमान तथा भावी दोनों सम्पूर्ण ऋणभारहीन वर्तमान आस्तियाँ चाहे वे खुली पड़ी हों या किसी स्थिति में हो अथवा जो आसपास पड़ी हों या भण्डारित की जाने वाली हों तथा इनकी सततता के दौरान ये कर्जदार के परिसर, गोदाम तथा/अथवा अन्य कहीं भी लायी गयी हों, लायी जाने वाली हों, भण्डारित हों या भण्डारित की जाने वाली हों अथवा ये कर्जदार की किसी पार्टी के पास उसके आदेशानुसार धारित होने वाली हों या धारित हों या मुक्त सागर या आदेश या सुपुर्दगी के कारण पारगमन की प्रक्रिया में हों।

स्थान : दिल्ली
तिथि : 05.12.2019
ह./- अधिकृत प्राधिकारी
कृते एसबीआईकैप ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) **Union Bank of India** (A Government of India Undertaking)
केंद्रीय कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

यूनियन बैंक भर्ती योजना 2019-20 (विशेषज्ञ अधिकारी)

उपरोक्त परियोजना के तहत क्रेडिट, एकीकृत ट्रेजरी एवं फोरेक्स अधिकारी के पद के लिए परिणाम 30.11.2019 को घोषित किया गया है तथा इसे हमारे बैंक के वेबसाइट (**www.unionbankofindia.co.in -> Recruitments -> Careers Overview**) पर भी अपलोड किया गया है.

उपरोक्त परियोजना के तहत अग्रिशमन अधिकारी, अर्थशास्त्री एवं सुरक्षा अधिकारी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है .

सार्वजनिक सूचना

जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै श्रीमती प्रेमलता रोशनलाल अग्रवाल निवासी फ्लैट सं. 68, 12वीं मंजिल, कुफे परेड सुनीता को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि., 98 कुफे परेड, मुम्बई-400005 (पैन नं. ADIPA4372Q) ने अपने स्वामित्व की दो सम्पत्तियों 1) कार्यालय सं. 214, पता : दूसरी मंजिल, राजहंस ओनर्स को-ऑपरेटिव एसईआर. सोसाइटी लि., प्लॉट सं. 1420 ए/बी, रिंग रोड, सामने जे.के. टॉवर, सूरत-395002 तथा 2) औद्योगिक प्लॉट सं. 17, पता : इच्छापोर, भाटपोर, जीआईडीसी एस्टेट, मगदल्ला रोड, सूरत, गुजरात के लिए **कुछ शक्तियों के उपयोग हेतु दस्तावेज सं. बीबीई/1/9463/2014 दिनांक 17.10.2014 के माध्यम से** अपने पुत्र **सुभाष रोशनलाल अग्रवाल** के पक्ष में एक विशिष्ट पॉवर ऑफ एटॉर्नी क्रियान्वित की है और मुझे ज्ञात हुआ है कि वह प्रदत्त **कथित पॉवर ऑफ एटॉर्नी** तथा शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और **इसलिए एतद्वारा मैं तुरन्त प्रभाव से कथित पॉवर ऑफ एटॉर्नी को निरस्त करती हूँ।**
कोई भी व्यक्ति जो उसके साथ संव्यवहार कर रहा है या **मेरी जानकारी तथा लिखित सहमति के बिना** उपर्युक्त कथित सम्पत्तियों के लिए प्रदत्त मेरी पॉवर ऑफ एटॉर्नी का उपयोग कर रहा है वह अपनी लागत एवं परिणामों से ऐसा करेगा और वह समस्त लागत तथा उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
दिनांक : 5 दिसम्बर, 2019 ह./-
स्थान : मुम्बई श्रीमती प्रेमलता रोशनलाल

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
नेहरू प्लेस शाखा: 1, पारस सिनेमा बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, नेहरू प्लेस शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार श्री लखपत भंडारी और श्रीमती चम्पा भंडारी को मांग सूचना दिनांकित 01.08.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 27,22,676.60 (रुपये सत्ताईस लाख बाईस हजार छः सौ छिहत्तर और पैसे साठ मात्र) प्लस अनचार्ज ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 29.11.2019 को लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते रु. 26,33,708.00 तिथि और ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एच-2054, 19वां तल, 11वां ऐवेन्यू, गौर सिटी 2, ग्रेटर नोएडा, प्लॉट नं. जीएच 03, सैक्टर-16सी, यू.पी. - 201009 में स्थित

दिनांक : 29.11.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **भौतिक कब्जा दिनांक 04, दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम और पता	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	रु./डिमांड नोटिस की तिथि/कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि	भौतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	मंगल पांडे नगर, मेरठ	श्री पार्श्वनाथ एसोसिएटस, 255/9, सेक्टर 9, शास्त्री नगर, मेरठ	श्री अंकुर जैन पुत्र वीरेंद्र जैन 255/9, सेक्टर 9, शास्त्री नगर, मेरठ	1. आवासीय मकान नं. 255/9, क्षेत्रफल 252.42 वर्ग मीटर स्थित सेक्टर 9,शास्त्री नगर मेरठ, स्वामित्व श्री अंकुर जैन। **सीमायें:-पूर्व:** रास्ता आम **पश्चिम:** मकान नं. 242/9 **उत्तर:** मकान नंबर 254/9 **दक्षिण:** प्लॉट नं. 256/9 2.वाणिज्यिक दुकान भूतल, दुकान नंबर 4, पुराना प्लॉट नं. 256/9, स्कीम नं. 7, शास्त्री नगर मेरठ स्वामित्व श्रीमती रंजुला जैन पत्नी श्री अंकुर जैन	03.07.2018 रु.19807617.64 दिनांक 01.07.2018 से ब्याज व अन्य खर्चे	04.12.2019 सांकेतिक कब्जे की तिथि 17.09.2018	श्री अविनाश कुमार, 9771430208

दिनांक:- 04.12.2019 स्थान:- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम) **ई-नीलामी सूचना**

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 26.12.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख एवं समय	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख बकाया राशि
मैसर्स बूम बार्यिंग प्रा. लि. कर्जदार श्री राकेश सिंह, श्री गुलाब सिंह श्रीमती राधिका सिंह मैसर्स बूम एग्रो प्रा. लि. श्रीमती श्यामो सिंह श्रीमती लक्ष्मी देवी (गारंटर)	(1) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक फ्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति बेसमेंट का हिस्सा, ई-986, ब्लॉक-ई, चितरंजन पार्क, ईपीडीपी कॉलोनी, नई दिल्ली-110019 में स्थित, क्षेत्रफल 550.00 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री राकेश सिंह (गारंटर) पुत्र श्री महेश सिंह के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – सम्पत्ति का हिस्सा, पश्चिम में – सर्विस लेन, उत्तर में – रोड, दक्षिण में – सम्पत्ति का हिस्सा	₹ 27.00 लाख ₹ 2.70 लाख ₹ 0.50 लाख	26-12-2019 from 01.00 P.M. to 03.00 P.M. प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं. श्री यश पाल चावला मो. 9584317482	30-06-2015 रु. 9,57,02,849.45 दिनांक 30.06.2015 तक (दिनांक 30.06.2015 तक ब्याज सहित) + भविष्य का ब्याज एवं प्रभार एवं अन्य खर्चे इत्यादि
	(2) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक फ्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति सम्पूर्ण तृतीय तल, छत के अधिकार के, एक कार पार्किंग के साथ भूमि के आनुपातिक अधिकारों के साथ संपत्ति नं. 121, पॉकेट ए-8, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019 में स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल 120 वर्ग मी., प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 160 वर्ग मी. पर निर्मित, यह सम्पत्ति श्री राकेश सिंह (गारंटर) पुत्र श्री महेश सिंह के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. 120, पश्चिम में – प्लॉट नं. 122, उत्तर में – रोड, दक्षिण में – प्लॉट नं. 112	₹ 160.00 लाख ₹ 16.00 लाख ₹ 1.00 लाख	खाता नं. और IFSC कोड 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 24-12-2019
सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय 20-12-2019 को पूर्वा 11.00 बजे अर्पाह्न 04.00 बजे तक

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी
1. ई-नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाऐ।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 24.12.2019) को अर्पा. 05.00 बजे तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधेलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 24.12.2019 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झा, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548. हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

खबरों में शहर

बलात्कार का आरोपी बरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने अपनी घरेलू सहायिका से बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को इस आधार पर बरी कर दिया कि पीड़िता ने तीन महीने बाद पुलिस से संपर्क किया और वो घटना के बाद भी वहां काम करती रही। साथ ही अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब पीड़िता की चिकित्सकों ने मेडिकल जांच की तब उसने यौन उत्पीड़न करने के वाले के रूप में अपने नियोक्ता का नाम नहीं लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उमेद सिंह ग्रेवाल ने कहा- कोई भी महिला हाल ही में खुद से बलात्कार करने वाले नियोक्ता के पास काम के लिए नहीं जाएगी क्योंकि यह नियोक्ता को इस बारे में स्पष्ट संदेश देगा कि वह (महिला) तैयार है और उस तरह की हरकत को इच्छुक है। महिला के साथ यह कथित घटना 2010 में हुई थी। अदालत ने कहा कि महिला ने लंबे समय तक इस घटना का खुलासा किसी परिचित से नहीं किया और ना ही तीन महीने तक कोई प्राथमिकी दर्ज कराई। महिला एक या दो दिन बाद काम पर लौट आई थी।

स्मार्ट शहरों में आपदा प्रबंधन पर बात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

देश में स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए केवल तकनीक पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है। स्मार्ट शहरों को आपदा प्रबंधन के अनुरूप ढालने के लिए काम करना होगा। साथ ही इसके लिए लोगों की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। सरकारी एजंसियों को लोगों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। ये बातें जेएनयू की स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च (एसडीसीआर) की संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर अमिता सिंह ने कहीं। उन्होंने एसडीसीआर की ओर से स्मार्ट शहरों को आपदा प्रबंधन के तहत विकसित करने के लिए वैश्विक संगोष्ठी के समारोह में यह बातें कहीं। सिंह ने कहा कि देश भर में जो स्मार्ट शहर विकसित किए जा रहे हैं, उनमें स्थानीय स्तर पर भी नेतृत्व की जरूरत है।

'सोशल क्रांति' संगोष्ठी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

धारा फॉर सस्टेनिंग लाइफ संस्था गुरुवार को 'सोशल क्रांति' नाम से एक विचार गोष्ठी का आयोजन चरखा पार्क में करेगी। कार्यक्रम में शिक्षा के जरिए महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को कैसे रोका जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में करीब 600 लोगों के आने की संभावना है। इसमें विशेष अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन, सुलभ इंटरनेशनल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, धार्मिक नेता और वकील अरुंधती काटजू जैसे कार्यकर्ता शामिल होंगे।

रात्रि महोत्सव का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

उत्तरी नगर निगम ने महिलाओं को सड़कों व गलियों में सुरक्षित महसूस कराने के लिए अजमल खान रोड, करोलबाग में रात्रि महोत्सव आयोजित करने का फैसला किया है। उत्तरी निगम की आयुक्त वर्षा जोशी ने बुधवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि महिलाओं को सड़कों व गलियों में सुरक्षित महसूस कराने के लिए निगम की यह एक पहल है। आयोजन पांच और छह दिसंबर को अजमल खान रोड करोल बाग में होगा। यह कार्यक्रम दिल्ली पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट, राहगिरी फाउंडेशन, साहित्य कला परिषद, संयुक्त राष्ट्र महिला, जगोरी एनजीओ और मार्केट एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : पुस्तक पर चर्चा, सभागार-1, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे से।

प्रदर्शनी

आइफैक्स : फोटो कला प्रदर्शनी, आइफैक्स, 1-रफी मार्ग, सुबह 11 बजे से, 5 दिसंबर तक।

जापानी फाउंडेशन : कार्यशाला 'हार्मोनी' का आयोजन, 5 ए, रिंग रोड लाजपत नगर 4, सुबह 10 बजे से, 21 दिसंबर तक।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्लीवालों को सौगात

15 जीबी डाटा मिलेगा मुफ्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

16 दिसंबर से दिल्ली वालों के लिए मुफ्त वाईफाई सुविधा शुरू होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। योजना के तहत हर नागरिक को 15 जीबी डाटा मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त वाईफाई योजना के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। आगामी 6 माह में दिल्ली में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाने की तैयारी है। इसका प्रयोग एक साथ 22 लाख लोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 16 दिसंबर से हर सप्ताह 500 हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने घोषणापत्र में जो भी वादे दिल्ली की जनता से किए थे। उन सभी वादों को पूरा किया है। मुफ्त वाईफाई का सबसे ज्यादा लाभ छात्रों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को होगा और वे प्रतिमाह एक बचत सुनिश्चित कर सकेंगे। सरकार 11 हजार में से 4 हजार बस स्टॉप पर और अन्य जगह 7 हजार हॉट स्पॉट लगाएगी। प्रत्येक विधानसभा में 100-100 हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। इस सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर को 100 हॉट स्पॉट के साथ होगी। इस योजना पर दिल्ली सरकार करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सारे हॉट स्पॉट्स लगने के बाद दिल्ली में 500 मीटर पर लोगों को एक वाई फाई मिल जाएगा। दिल्ली सरकार हर व्यक्ति को 15 जीबी डेटा हर माह और प्रतिदिन 1.5 जीबी डेटा मुफ्त देगी।

विधानसभा में लगेंगे इतने हॉट स्पॉट	
आदर्श नगर	18
बादली	19
मालवीय नगर	19
मोती नगर	10
सीमा पुरी	16
शाहदरा	18

सबसे पहले इन जगहों पर मिलेगा लाभ

कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट आइएसबीटी, आइटीओ बस स्टैंड, मंडी हाउस बस स्टैंड, दिल्ली सचिवालय, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड, सराय काले खां बस स्टैंड।

रेंज बदलने पर भी नहीं टूटेगा कनेक्शन

एक हॉटस्पॉट पर 150 से 200 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम औसतन 200 यूजर मानें और 11 हजार हॉट स्पॉट मानें तो 22 लाख यूजर एक साथ इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। हॉट स्पॉट्स को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए एक ऐप बनाया गया है। जहां नागरिकों को केवाईसी भरने के बाद यूजर के फोन में ओटीपी आएगा। वह ओटीपी डालने के बाद इंटरनेट कनेक्शन शुरू होगा। यदि कोई नागरिक हॉट स्पॉट जोन से निकल कर दूसरे के जोन में जाते हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं टूटेगा।

16 झुग्गियों में लगी आग, महिला की जलकर मौत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 4 दिसंबर।

सेक्टर-49 बरौला में मंगलवार रात बिजली के तार से चिंगारी निकलने से 16 झुग्गियों में भयंकर आग लग गई। आग में कंचन नामक युवति की जलकर मौत हो गई। कंचन अपने पति रवि के साथ पिछले पांच साल से यहां रह रही थी। आग में उसका पति और बेटा भी गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की पांच गाड़ियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। जबकि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बरौला गांव के पास बने विशाल मेगा मार्ट के पीछे झरिया कॉलोनी के एक प्लॉट में 16 झुग्गियां हैं। मंगलवार रात करीब सवा बारह बजे अचानक एक झुग्गी में आग लग गई। कुछ ही देर में आग कई झुग्गियों में फैल गई। पास के भूखंडों में रहने वालों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं बुझी। एक झुग्गी का मलबा गिरने से 30 वर्षीय कंचन की मौत हो गई।

हड़ताल से सैकड़ों विद्यार्थी परेशान : जेएनयू प्रशासन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने बुधवार को बयान जारी कहा है कि उनके पास संस्थान के विभिन्न विद्यार्थियों के पत्र और संदेश आए हैं कि मौजूदा परिस्थितियों की वजह से उनकी अकादमिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन ने आंदोलनरत सभी विद्यार्थियों से तुरंत हड़ताल खत्म करने की अपील की है।

जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार की ओर से कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन, डीन और स्कूल व केंद्रों के अध्यक्ष 12 दिसंबर से परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि जो विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं वे अपने स्कूल या केंद्र से संपर्क करें। अगर कोई उन्हें ऐसा करने से रोकता है तो उसके खिलाफ विश्वविद्यालय नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू प्रशासन की ओर से कहा गया है कि परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। एक दिव्यांग विद्यार्थी के संदेश के बारे में भी प्रशासन ने बताया। जेएनयू के रजिस्ट्रार ने कहा कि हमें काफी विद्यार्थियों ने इसी तरह के संदेश व पत्र लिखे हैं। एक दिव्यांग विद्यार्थी ने कहा कि उसने कभी भी किसी भी धरना व प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। पिछले कई दिनों से मैं जेएनयू के स्कूलों में अपनी कक्षाओं में भाग लेने के लिए जा रहा था, लेकिन आंदोलनकारी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की वजह से इन्होंने इन स्कूलों को बंद कर रखा है। अगर जेएनयू प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति दी गई तो यह हम जैसे विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा।

जेएनयू शिक्षक संघ ने की एक दिन की भूख हड़ताल

जेएनयू शिक्षक संघ ने बुधवार को परिसर में एक दिन की भूख हड़ताल की। शिक्षकों की मांग है कि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की ओर से जेएनयू में अकादमिक गतिविधियों की बहाली के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंत्रालय सार्वजनिक करे। शिक्षक संघ के सचिव सुरजीत मजूमदार ने कहा कि हमारी ओर से कई सांसदों से भी जेएनयू के मौजूदा हालातों को संसद में उठाने की मांग की गई है।

अपनी मांगों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का विरोध

कुलपति के दफ्तर पर किया कब्जा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के बैनर तले बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सैकड़ों शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति के दफ्तर का पहले तो घेराव किया, बाद में दफ्तर पर कब्जा कर लिया। खबर लिखे जाने तक शिक्षक वहां जमे हुए थे। शिक्षक बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले गए हैं।

शिक्षक सुबह करीब 11:30 बजे उत्तरी परिसर स्थित कला संकाय के द्वार संख्या चार पर एकत्रित हुए। इस दौरान तदर्थ शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति, उनके वेतन, समायोजन, स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति और 28 अगस्त का पत्र वापस लेने जैसी कई मांगों को लेकर नारे लगाए। इसके बाद ये शिक्षक कुलपति के दफ्तर की ओर से बढ़ने लगे। देखते ही देखते शिक्षक अपना आपा खोते हुए दफ्तर के द्वार पर चढ़ गए और द्वार को तोड़ते हुए कुलपति दफ्तर में घुस गए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने शिक्षकों

को रोकने की कोशिश की लेकिन वे ऐसा करने में सफल नहीं रहे।

दूसरी ओर, कुछ शिक्षकों ने सवा बारह बजे के आसपास कुलपति दफ्तर के दूसरे द्वार को तोड़कर अंदर घुस गए। पुलिस कुछ समझ पाती इससे पहले सैकड़ों शिक्षकों ने कुलपति दफ्तर को अपने कब्जे में कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ है, जब शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर कुलपति दफ्तर का ताला तोड़कर अंदर घुसे हों। शिक्षकों ने कुलपति दफ्तर के मुख्य द्वार पर 'वीसी बाय-बाय' और 'सेव पब्लिक एजुकेशन' लिख दिया। यही नहीं अंदर की दीवारों पर 'नो रिनुव्ल ओनली अब्सॉप्शन', '28 अगस्त का लेटर वापस लो', 'सेव डीयू' आदि के नारे लिख दिए गए।

'दसवीं में नहीं पहुंचे 40% विद्यार्थी'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दिल्ली के राजकीय सरकारी स्कूलों में 1,16,149 विद्यार्थी कक्षा 9वीं (शैक्षणिक वर्ष 2017-18) से 10वीं (शैक्षणिक वर्ष 2018-19) में नहीं गए। इसका सीधा मतलब यह है कि 9वीं कक्षा के 40 फीसद छात्र परीक्षाओ में विफल रहे। यह आंकड़ा प्रजा फाउंडेशन की ओर से बुधवार को प्रेस क्लब में जारी 'दिल्ली में सार्वजनिक (विद्यालय) शिक्षा की स्थिति' रिपोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान, इस बात पर जोर दिया गया कि सरकारी स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं, बुनियादी ढांचे में सुधार और भारी बजटीय आबंटन के बावजूद, विद्यार्थियों को स्कूलों में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है । प्रजा फाउंडेशन के निदेशक मिलिंद म्हस्के ने बताया कि मार्च 2019 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान, राज्य के सरकारी स्कूलों ने 94.24 फीसद उत्तीर्ण की सूचना दी, लेकिन यह बड़ी तस्वीर का एक छोटा हिस्सा प्रस्तुत करता है।

गाजियाबाद हत्याकांड : पांच मौतों का आरोपी राकेश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 4 दिसंबर।

इंदिरापुरम के वैभव खंड स्थित सोसायटी में मंगलवार सुबह हुई पांच लोगों की मौत के आरोपी राकेश वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी, अपने दो बच्चों की हत्या करने के बाद अपनी पत्नी व कारोबार में सहयोग करने वाली महिला के साथ आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाले जींस कारोबारी गुलशन वासुदेव का साढू है।

वहीं, परिवार के चारों मृतकों का बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। चार शवों का अंतिम संस्कार एक साथ हिंडन घाट पर हुआ, जबकि कारोबार में सहयोग करने वाली संजना का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। सुसाइड नोट के मुताबिक मरने वालों की इच्छा थी कि पांचों शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बुधवार को पुलिस लाइन में हुई प्रेसवार्ता में बताया कि पुलिस ने मृतक

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी राकेश वर्मा।

के बड़े भाई देवेंद्र की शिकायत पर राकेश वर्मा और उसकी मां फूला देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। जिसके आधार पर थाना इंदिरापुरम पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मोहन नगर से राकेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने गुलशन वासुदेव से प्रॉपर्टी कारोबार में रकम लगवाई थी। जिसमें गुलशन ने अपने अलावा अन्य परिचितों से रुपए लेकर भी लगाए थे।

कार में मिले डॉक्टर और महिला कर्मचारी के शव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

रोहिणी में बुधवार सुबह एक कार में डॉक्टर और उनकी महिला कर्मचारी की संदिग्ध रूप से लाश मिली। दोनों के शव खून से लथपथ मिले और दोनों को गोली लगने की बात सामने आई है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त एसडी मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले महिला को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर जान दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखने के बाद पुलिस उनके परिजनों से पूछताछ कर दोनों में विवाहेत्तर संबंध थे या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है।

उपायुक्त ने बताया कि बुधवार सुबह कार में एक महिला और पुरुष के शव होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक दोनों का गोली लगा शव बरामद हुआ। मृतकों की पहचान डॉ ओमप्रकाश कुकरेजा (65) और उनकी सुदीप्ता मुखर्जी (55) के रूप में की गई है। पुलिस को आशंका है कि डॉ कुकरेजा ने पहले महिला को गोली मारी फिर खुद को गोली मार कर खुदकशी कर ली। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है।

जांच में पता चला कि डॉ कुकरेजा का रोहिणी में अपना निर्वाणा नर्सिंग होम नाम से अस्पताल है। जिसमें सुदीप्ता मुखर्जी बतौर निदेशक काम करती थीं। दोनों सुबह में रोहिणी सेक्टर-13 में रंग रसायन अपार्टमेंट के नजदीक कार में मृत मिले। स्थानीय लोगों ने दोनों को कार में बेसुध देखा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि शादीशुदा होने के बावजूद दोनों में विवाहेत्तर संबंध थे। डॉक्टर के परिवार में दिव्यांग पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। सुदीप्ति मुखर्जी रोहिणी के सेक्टर-18 में रहती थीं। उनके एक बेटा है जो विदेश में रहता है। जबकि महिला का पति एक ट्रांसपोर्टर है।

विधानसभा का आखिरी सत्र — गुप्ता और सिरसा ने मुख्यमंत्री को घेरा

केजरीवाल ने सामने रखा अगली सरकार का एजंडा

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

दिल्ली विधानसभा के आखिरी सत्र के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई शिकार साधने की कोशिश की। सदन की चर्चा को आधार बनाकर उन्होंने वो सारी बातें दोहरा डालीं जो चुनावी मंचों पर होने थीं। बता दें कि आमतौर पर राजनीतिक दल समय अभाव में पूरा न कर सकने वाले विकास को केंद्रित बिल पास करने से आखिरी समय में परहेज करते हैं। लेकिन इसके उलट केजरीवाल सरकार ने ऐसा नहीं किया।

सरकार ने खेल विश्वविद्यालय और स्किल व उद्यमिता विश्वविद्यालय बिल पास किया। साथ ही विपक्ष के इस दावे को भी स्वीकार किया कि यह अभी कागजों पर है। मुख्यमंत्री ने सदन में जो बयान दिए उससे साफ है कि केजरीवाल ने यह कदम मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह सूझबूझ से उठाया और पटल से जनता को अपनी अगली सरकार का पहला एजंडा बता डाला। उन्होंने

साफ कर दिया कि जिस तरह पिछला चुनाव जीतने के एक महीना के भीतर बिजली शुल्क हाफ और पानी शुक्ल माफ वाला काम किया। उसी तरह खेल विश्वविद्यालय और स्किल व उद्यमिता विश्वविद्यालय पर भी काम होगा। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र में खेल विश्वविद्यालय और स्किल व उद्यमिता विश्वविद्यालय बनाए जाने का संकल्प यह संदेश है कि उनकी अगली सरकार का पहला काम यहीं होगा। जब सरकार बनी थी, आते ही बिजली के दाम कम, पानी फ्री किया था।

इसके अलावा भी सदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का पेश किया जाना भी एक तय रणनीति का हिस्सा था। जिसके जरिए मुखयमंत्री व उपमुख्यमंत्री ने अपने बयान में दिल्ली के तमाम मुद्दों को शामिल किया। केजरीवाल को इसके जरिए 'फ्री सुविधा' देने के औचित्य को सही ठहराने का मौका मिला। उन्होंने कहा-ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया। फिजूलखर्ची को कम किया। सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दिल्ली की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। फिर वे केंद्र के साथ टकराव वाले मुद्दे पर भी आए। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा आंखिरी सत्र में एक और एक ग्यारह बनते दिखे। हालांकि आंकड़े के आगे विपक्ष असहाय था लेकिन अंतिम सत्र में जब प्याज और दूषित जल पर चर्चा की मांग पर अड़ने के कारण गुप्ता को जब मार्शल से बाहर निकलवा दिया गया तब सिरसा ने स्किल व उद्यमिता विश्वविद्यालय बिल पर सरकार को घेरा लिया। हालांकि बिल नहीं रोक सके, लेकिन बात दूर तलक रखी।

विपक्ष का दावा, हमारी आवाज को दबाया

अंतिम सत्र में सरकार की रणनीति थी कि हर कीमत पर विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। इस कारण सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों से भागती नजर आई। सरकार ने विपक्ष को जनहित से जुड़े हुए किसी भी मामले को सदन में रखने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं सरकार पूरे वर्ष जनहित के मामले उजागर होने से बचती नजर आई। हैरानी की बात है कि उसने इस वर्ष मात्र 12 दिन बैठकें रखी गईं, जबकि पिछले वर्ष 32 दिन बैठके रखी गईं। क्रमांक वर्ष बैठकों की संख्या 2017 में 21, 2016 में 15 और 2015 में 26 बैठकें रखी गई थी।

नाबालिग रोगी के साथ छेड़छाड़ में डॉक्टर गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

कालकाजी इलाके में एक डॉक्टर ने इलाज के बहाने क्लीनिक में बुलाकर एक नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। कई दिनों तक परेशान होने के बाद नाबालिग ने अपने परिजनों को डॉक्टर की हरकत के बारे में जानकारी दी। कालकाजी पुलिस ने नाबालिग के बयान पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपी डक्टर को उसके क्लीनिक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि एक नवंबर को उन्हें शिकायत मिली कि कालकाजी में डेंटल सोल्युशन नाम से डॉ हिन्द पॉल भाटिया अपना क्लीनिक चलाते हैं। शिकायतकर्ता 26 नवंबर को अपनी बेटी के दांत में दर्द होने के चलते वहां उनके क्लीनिक पर गए थे। जहां उन्होंने उपचार के दौरान उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन उनकी बेटी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। 28 नवंबर को वह दोबारा उपचार के लिए क्लीनिक पहुंचे। जहां फिर से डॉक्टर ने बच्ची को गलत तरीके से छुआ और उसके साथ छेड़छाड़ की।

www.readwhere.com

'सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता की जरूरत नहीं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीन की ओर से होने वाली अतिक्रमण की घटनाओं को लेकर सिंह ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अलग-अलग धारणाएं होने की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं।

> "चीन के साथ इस तरह की घटनाओं का मूल कारण दोनों देशों के बीच कोई निर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं होना है

शून्यकाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने चीनी सेना के कथित रूप से भारतीय क्षेत्र में आने की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रुख आक्रामक रहता है, लेकिन उसे मदद देने वाले चीन के खिलाफ सरकार का रुख नरमी वाला लगता है। उन्होंने कहा कि चीन के मामले में सरकार का रवैया हताशा पैदा करने वाला है। उसके खिलाफ इतनी नरमी क्यों है?

इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- मैं सदन को और सदन के माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा को लेकर सेनाएं पूरी तरह चौकस हैं। वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह जागरूक है। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

सिंह ने कहा कि चीन के साथ इस तरह की घटनाओं का मूल कारण दोनों देशों के बीच कोई निर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं होना है।

विद्यालयों के लिए शुरू हुई फिट इंडिया रेटिंग प्रणाली

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 दिसंबर।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस अवसर पर कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और सीबीएसई स्कूली शिक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। फिट इंडिया अभियान में केवीएस के प्रयासों की सराहना की।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने बुधवार को केंद्रीय विद्यालय नंबर एक (दिल्ली कैंट) में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान फिट इंडिया स्कूल रेटिंग प्रणाली का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित रहीं।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और सीबीएसई स्कूली शिक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 16 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 33 करोड़ विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है, जो शायद अन्य किसी देश के पास नहीं। निशंक ने फिट इंडिया अभियान में केवीएस के प्रयासों की सराहना की और केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को इसका ब्रांड एंबेस्डर घोषित किया।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि फिट इंडिया स्कूल रेटिंग सिस्टम स्कूलों की छवि सुधारने में सहायक होगा। उन्होंने फिट इंडिया अभियान में केवीएस की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ संस्कृति और खेलों को प्रोत्साहन देने में केंद्रीय विद्यालय अन्य स्कूलों से अलग हैं। उन्होंने सभी बच्चों से प्रतिदिन कसरत करने की अपील की। उन्होंने फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने में सीबीएसई के सक्रिय योगदान की भी सराहना की।

इस अवसर पर केवीएस के आयुक्त संतोष कुमार मल्ल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए केवीएस द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों पर प्रकाश डाला। अपर आयुक्त (शैक्षिक) उदय नारायण खवाड़े ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.

कॉर्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
दूरभाष : 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co
वेबसाइट : www.shubham.co

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (इसके पश्चात शुभम कहा जायेगा) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हि(प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जमानती और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन निम्नलिखित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के अधियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में उपलब्ध समय-सीमा के लिए कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	ऋण सं./कर्जदार(रों), सहकर्जदार का नाम	माँग सूचना की राशि	माँग सूचना की तिथि	प्रतिभूत आस्ति	प्रत्ययवोजन की तिथि
1.	KHI_1410_028706-सुनील कुमार झा, रूबी झा	रु. 5,16,842/-	28.07.2018	सम्पत्ति प्लॉट सं. बी-71, खसरा नं. 245, मिन, कवारी सिटी, फेज-II, ब्लॉक बी, ग्राम-सिखरानी, परगना लोनी, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद (उ.प्र.)-201102	02.12.2019
2.	0DEL1806000005013087-जावेद खान, रेशमा खान	रु. 1,028,020.98	26.07.2019	सम्पत्ति सं. - डी-17, खसरा नं. 68/9/1, दूसरी मंजिल, छत के अधिकार रहित, आबादी कॉलोनी, हस्तसाल विहार, उत्तम नगर पश्चिम, दिल्ली-110059	29.11.2019
3.	0REW1701000005003690-इसराइल खान, बसरी	रु. 15,75,228/-	27.09.2019	प्लॉट सं. 150, लाल डोरा, ग्राम-नुनेरा, तहसील-सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा-122001	02.12.2019

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 04.12.2019

अधिकृत प्राधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लि

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालय: रामगंगा विहार, मुरादाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय: 18 संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, गाजियाबाद (उ0प्र0) फोन-8192805245, 8192805246
फैक्स नं0- 0120-2783333 E-Mail : rmgzb@prathamaupbank.com

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है ।

शाखा का नाम	ऋणी (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	कब्जा की तारीख	नीलामी का दिनांक, समय व स्थान
इन्दिरापुरम	**ऋणी:** श्री अंकित पुत्र श्री ऋषि पाल **गारन्टर:** श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री तेज सिंह (9134NC0000342 7)	फ्लैट सं0 1024, ई0डब्ल्यू0एस0, ग्राउण्ड फ्लौर, न्याय खण्ड-1, इन्दिरापुरम । जिसका क्षेत्रफल 20.14 वर्ग मीटर है । उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 33143 पृष्ठ सं0 151-206 क0 सं0 4722 दिनांक 07.04.2017 पर दर्ज है ।	Rs. 1259288/- ब्याज अन्य खर्चे - वसूली यदि हो तो	Rs. 960000/-	Rs. 96000/-	10-10-18	**दिनांक:** 21.12.19, **समय:** अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक **स्थान:** प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, इन्दिरापुरम। पता: 1031, नीति खण्ड-1, ऑरेन्ज काउन्टी के सामने, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद ।

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तें : (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेंगी। सम्पत्तियों सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेंगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, शाखा इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के पक्ष में देय भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई0एम0डी0) के रूप में शाखा प्रबन्धक इन्दिरापुरम दूरभाष क्रमशः 8860870262 के पास दि0 20.12.2019 तक प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक जमा करना होगा। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई0एम0डी0 प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई0एम0डी0 नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल/टैक्स /बिजली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीज एवं कर जो भी होगें भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) नीलामी का समय उक्तानुसार ही रहेगा ।

ऋणियों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि को नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी ।

दिनांक : 04.12.2019 स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

SBI भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-I,
12वां तल, जवाहर व्यापार भवन,
एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग,
जनपथ, नई दिल्ली-110001,

शुद्धिपत्र

दिनांक 08.11.2019 को इस समाचार पत्र, दिल्ली संस्करण में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.12.2019 को खाता श्री विपुल कांत उपाध्याय और श्रीमती पारुल उपाध्याय की सम्पत्ति की ई-नीलामी होनी थी, अब हम इस सम्पत्ति की ई-नीलामी को निरस्त करते है।

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

फार्म नं. आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

और

रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74999DL1996PTC113320)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **अपार्टमेंट नं.100ए/5, ग्राउंड फ्लोर, द केपिटल कोर्ट, ओलोफ पाल्मे मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **25 सितम्बर, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **अपार्टमेंट नं.100ए/5, ग्राउंड फ्लोर, द केपिटल कोर्ट, ओलोफ पाल्मे मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे ।

कृते **रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
विक्रम हरिकृष्णा मर्चेंट
(निदेशक)
डीआईएन: 01046687

दिनांक: 05 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

फार्म नं. आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले

और

कारनेशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U45201DL2006PTC253634

जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-10, सुनेजा टॉवर-1, डिस्ट्रीक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 के मामले

...याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम आर्फ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक आसाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु शुक्रवार 29 नवम्बर 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"राजस्थान राज्य"**, पता कृष सिटी सेंटर, ग्राम तपुकरा, तहसील तिजारा, अलवर बाईपास रोड़, राजस्थान-301707 में बदलने हेतु पारित किया गया। यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कारनेशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
रजत सिंघल, निदेशक
डीआईएन: 00321560,
कॉर्पोरेट ऑफिस: 424-425, सनसिटी सक्सैस टॉवर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सैक्टर-65, गुड़गांव-122005

दिनांक: 05.12.2019

STATE BANK OF INDIA

एसएमई शाखा अजमल खान रोड, 12/56, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
टेली.: 011-23543002, फैक्स: 011-41557251, ई-मेल: sbi.00666@sbi.co.in

कब्जा सूचना [नियम 8(1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिये]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को मांग सूचनाऐं जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता तथा राशि के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर बाज के लिये **भारतीय स्टेट बैंक** के चार्ज के अधीन होगा। सांकेतिक कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

ऋणधारक का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण (चल/अचल)	कब्जा राशि (जैसा कि धारा 13 (2) सूचना में वर्णित है)	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि
ऋणधारकों: 1) मै. श्री पन्ना स्टील्स (प्रॉप्राईटर: श्री मुकुल जैन तथा गारन्टर/मार्टगैजर- श्रीमती सुमन जैन) एवं 2) मै. एमएस प्रिन्ट मीडिया (पार्टनर/गारन्टर-श्री मुकुल जैन, श्रीमती मोना जैन तथा श्रीमती सुमन जैन (साथ ही: मार्टगैजर)	भाग-I-प्राथमिक प्रतिभूतिः मै. श्री पन्ना स्टील्स (प्रॉप्राईटर-श्री मुकुल जैन) तथा मै. प्रिन्ट मीडिया (पार्टनर-श्री मुकुल जैन, श्रीमती मोना जैन तथा श्रीमती सुमन जैन) के मामले में सम्पूर्ण वर्तमान परिसम्पत्तियों अर्थात स्टॉक्स एवं रिसीवैल्स अथवा दोनों फर्म की किसी अन्य चालू परिसम्पत्तियों (वर्तमान एवं भविष्य) के हाइपोथेकेशन द्वारा प्रथम प्रभार। भाग-II 1. प्रथम प्रभारः कोलेटरल सम्पत्ति पर श्रीमती सुमन जैन के नाम में मकान सं. 7, 27ए, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 में सम्पत्ति पर ईएम चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः सर्विस लेन, उत्तरः सम्पत्ति सं. 5, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 11	रु. 6,35,14,981.00/- (श्री पन्ना स्टील्स की खाता में रु. 53526056.00 एवं मै. एमएस प्रिन्ट मीडिया में रु. 99,88,925.00) 29.9.2019 को तथा ब्याज एवं अन्य चार्जेज	30.9.2019	4.12.2019

तिथि: 5.12.2019 स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर. सी. सं. 523/2018 **बिक्री उद्घोषणा** दिनांक 01.11.2019

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मैसर्स के एम डॉयमण्ड प्रा. लि. एवं अन्य
बिक्री की उद्घोषणा अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित

सेवा में
सीडी नं. 1. मैसर्स केएम डॉयमंड्स प्रा. लि., 2439/10, अजमल खान रोड, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
सीडी नं. 2. मनोज सोनी, 2439/10, अजमल खान रोड, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005, और: 5909/3, ब्लॉक-4, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सीडी नं. 3. सुमन सोनी, 2439/10, अजमल खान रोड, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005., और: 5909/3, ब्लॉक-4, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सीडी नं. 4. दीपक गुप्ता, 52/45, ब्लॉक- 52, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005. और: 3565/640, ब्लॉक- यू, गली नंबर 1, बस्ती रैगर, सत नगर, नया दिल्ली - 110005

जैसा कि आपने पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा ओ ए नं. 754/2015/डी आर टी-III, दिल्ली, दिनांकित 19.11.2015** से ऋणवसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके / उनके द्वारा देय योग्य **रु. 9,36,33,551.60 (रु. नौ करोड छत्तीस लाख तैतीस हजार पाँच सौ इक्यावन और पैसे साठ मात्र)** और साथ में वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज एवं खर्चे के अनुसार देय योग्य ब्याज व लागत का भुगतान प्रतिवादी रुप से नही किया गया है।

और जैसाकि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जहाँ पर **रु. 9,36,33,551.60 (रु. नौ करोड छत्तीस लाख तैतीस हजार पाँच सौ इक्यावन और पैसे साठ मात्र)** और साथ में ओ. ए दाखिल करने की तिथि अर्थात 19.11.2015 से 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज एवं खर्चे सहित अदायगी की तिथि तक देनदारों से संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से देय होगा।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव मे उक्त सम्पत्ति को ई-नीलामी द्वारा **11.01.2020** को अपरा. 03.00 बजे से 04.00 बजे के बीच बेचा जाऐगा **(5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है)** तथा सेवा प्रदाता **मैसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार फेज-2, गल्फ पैट्रोकैम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुरुग्राम, प्रथम तल, हरियाणा-122015, फोन : 0124-4302020/21/22/23/24, 09813887931, ई-मेल : support@bankeauctions.com** से सम्पर्क करें।

संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु और निरीक्षण हेतु सीएच बैंक के ऑफिसर **श्री वाई.पी चावला, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेड ओ एस ए आर बी, टेली नं. 011-23448841, मो. : 9584317482 से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।**

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निंधारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

1. आरक्षित मूल्य के नीचे सम्पत्ति नही बेची जाएगी।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य /(ईएमडी)
1.	**साम्यिक बंधक सम्पूर्ण बेसमेंट तल (बिना छत के अधिकार के) सम्पत्ति के तहत भूमि पर आनुपातिक अधिकारों के साथ जोकि सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 11676/1, वार्ड नं. XVI, प्लॉट नं. 3565/640 पर निर्मित, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, गली नं. 1, ब्लॉक-यू बस्ती रैघर, सत नगर, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित**	**रु. 41,31,000/- धरोहर राशि: रु. 4,13,100/-**

2. बोली, **कम से कम रू. 1,000,000/- (रु. एक लाख मात्र) गुणाकों में बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी।

3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अद्योहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।

4. धरोहर राशि जमा करने हेतु **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली** में देययोग्य हो को **वसूली अधिकारी - II, डीआरटी-III, दिल्ली को दिनांक 09.01.2020 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नही की जायेगी।

5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वंय की ओर से या अपने स्वामी की और से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की और से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) **वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली** के कार्यालय में जमा कराना होगा।

6. असफल बोलीदाता/ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा

7. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को

जनसत्ता

आदत से लाचार

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने जिस तरह अंधाधुंध गोलीबारी की, उससे स्पष्ट है कि वह इस समूचे इलाके में शांति और सद्भाव नहीं चाहता और लगातार भारत को उकसाने की कोशिश करता है। बिना किसी वजह के की गई इस गोलीबारी में दो भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जबकि सात लोग बुरी तरह घायल हो गए। सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस बात का जवाब दे सकता है कि ताजा गोलीबारी की वजह क्या थी और जो आम नागरिक उसमें मारे गए या घायल हुए, उनसे उसकी क्या दुश्मनी थी! इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से भारत में घुसपैठ कर रहे खतरनाक हथियारों सहित एक युवक को भी गिरफ्तार किया। सवाल है कि घोषित तौर पर युद्धविराम की स्थिति के बावजूद सीमापार से बेवजह गोलीबारी और घुसपैठ कराने की ऐसी हरकतों के साथ यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की पृष्ठभूमि बनेगी!

हालांकि पाकिस्तान की ओर से ऐसी कार्रवाइयां कोई नई नहीं हैं। बल्कि ऐसे भी मौके आते रहे हैं जब दोनों देशों के बीच शांति और सद्भाव बहाल करने की कोशिशें परवान चढ़ने लगती हैं, तब उसकी ओर से युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से शांति प्रक्रिया प्रभावित होती है और फिर कूटनीतिक संबंध भी पटरी से उतरते हैं। जबकि पड़ोसी देश के नाते होना यह चाहिए कि ऐसा माहौल अपनी ओर बनाने की कोशिश होती, जिसमें द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते। यह दोनों ही देशों के हित में है, क्योंकि जब तक कूटनीतिक और राजनीतिक माहौल सहज नहीं रहेगा, विकास जैसे सवाल हाशिये पर रहेंगे। लेकिन इनके महत्त्व को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान की ओर से उकसावे भरी कार्रवाइयां की जाती हैं, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है! दरअसल, हाल में जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर भारत ने बड़ा फैसला किया, तभी से पाकिस्तान के भीतर एक विचित्र छटपटाहट देखी जा रही है और गाहे-बगाहे वह खुद पर से नियंत्रण खोता हुआ लगता है। प्रमाण है कि इस साल अक्तूबर तक पाकिस्तान ने दो हजार तीन सौ सत्रह बार युद्धविराम का उल्लंघन किया।

आखिर उसकी ओर से ऐसी हरकतें क्यों सामने आती हैं कि भारत को इस समूचे मामले में सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ता है। यह समझना मुश्किल है कि खुद को संप्रभु कहने वाला और दुनिया के देशों से अपनी संप्रभुता का खयाल रखे जाने की मांग करने वाला कोई देश अपने पड़ोसी को नाहक ही बार-बार क्यों उकसाता रहता है! सही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सहज नहीं हैं और दोनों ही ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तनाव और दबाव काम करता है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय कायदों को ताक पर रख कर एक-दूसरे की संप्रभुता और गरिमा का खयाल न रखा जाए। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा क्षेत्र की ओर गोलीबारी सामान्य घटना बन चुकी है, लेकिन विडंबना है कि उसे युद्धविराम की स्थितियों तक का खयाल रखना जरूरी नहीं लगता। कहने को वह भारत से जुड़े अमूमन हर मुद्दे पर दुनिया के देशों के सामने अपना रोना रोता है, लेकिन सच यह है कि अपनी सीमा में पाकिस्तान खुद ऐसी जटिलताओं में उलझा हुआ दिखता है, जो उसके लिए घातक साबित हो सकती हैं।

खुदकुशी का दायरा

महानगरों में बढ़ते असुरक्षाबोध, अवसाद, कुंठा और जीवन के प्रति तंगनजरी को लेकर चिंताएं बहुत पहले से प्रकट की जाती रही हैं, पर अब ये स्थितियां भयावह स्तर तक पहुंच गई लगती हैं। कारोबार में घाटा, प्रेम में मिली विफलता, पारिवारिक कलह आदि के चलते खुदकुशी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पांच लोगों की मौत इसका ताजा प्रमाण है। गौरतलब है कि गाजियाबाद में रहने वाले एक कारोबारी ने पहले अपने दो किशोर बच्चों की हत्या की, फिर अपनी एक कर्मचारी और पत्नी के साथ आठवीं मंजिल से छलांग लगा कर खुदकुशी कर ली। शुरुआती जांच में पता चला है कि कारोबारी को पिछले कुछ दिनों से अपने धंधे में घाटा उठाना पड़ रहा था और उसके करीब दो करोड़ रुपए एक रिश्तेदार ने दबा लिए थे। खुदकुशी से पहले लिखे नोट में कारोबारी ने यह बात बताई है। हालांकि इस मामले की छानबीन चल रही है और इससे जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी अभी सामने आनी है, पर इससे यह सवाल एक बार फिर गाढ़ा हुआ है कि महानगरों में आखिर कैसे ऐसी स्थितियां बनती गई हैं कि लोगों में संघर्ष का साहस छीजता गया है और वे जीवन से हार कर सपरिवार खुदकुशी जैसे कदम उठा लेते हैं।

महानगर लोगों में बेहतर और खुशहाल जीवन के सपने रोपते हैं। इसी आकर्षण में बहुत सारे लोग गांव और अपने छोटे कस्बे को छोड़ कर महानगरों की तरफ भागते हैं। हर कोई चाहता है कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी बसर करने का अवसर उपलब्ध कराए। इसलिए अनेक लोग उद्यम शुरू करते हैं। हालांकि उद्यम और व्यापार में उतार-चढ़ाव के जोखिमों से सब वाकिफ होते हैं और इस तरह नुकसान से पार पाने के लिए पहले से तैयार भी रहते हैं। पर पिछले कुछ सालों से व्यापार में घाटे और कर्ज का बोझ बढ़ने की वजह से खुदकुशी की घटनाएं बढ़ी हैं। यह प्रवृत्ति केवल बड़े नुकसान उठाने वाले व्यापारियों में नहीं, छोटे और खुदरा व्यापार करने वालों में भी देखी गई है, जो अक्सर बहुत आसानी से अपना धंधा बदल लेने को तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए देश की व्यापारिक स्थितियां जिम्मेदार हैं, पर इसमें सामाजिक बेपरवाही और संवेदनात्मक संकुचन भी कम जिम्मेदार नहीं है। यह ठीक है कि पिछले कुछ समय से देश में कारोबारी स्थितियां अच्छी नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को अपने धंधे बंद करने पड़े, कई कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि इससे पार पाने के लिए उन्होंने जीवन समाप्त करने का रास्ता ही चुना।

आत्महत्या की प्रवृत्ति अचानक नहीं पनपती। लंबे समय के अवसाद, तनाव, संत्रास अपमान के भय आदि से गुजरने के बाद ही कोई व्यक्ति इस तरफ कदम बढ़ाता है। इसलिए अगर कोई पूरे परिवार के साथ खुदकुशी का फैसला करता है, तो जाहिर है कि साथ के सभी लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे। गाजियाबाद की ताजा घटना से पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थितियों से गुजर रहा होता है, तो उसमें आस-पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी आदि उसे उनसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। मगर हैरानी की बात है कि अब समाज अपनी यह भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहा है! इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर कारगर उपाय जुटाने की दरकार है।

कल्पमेधा

व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करके
इतना नहीं थकता, जितना क्रोध या
चिंता से एक घंटे में।
- जेम्स एलन

हैवानियत का सिलसिला

अरविंद जयतिलक

जो भारतीय समाज कभी अपनी सहिष्णुता, सहृदयता और दयालुता के लिए जाना जाता था वह आज अपनी नृशंसता, हिंसा, दुष्कर्म और संवेदनहीनता से इंसानी रिश्तों और मानवीय मूल्यों को तार-तार कर रहा है। विडंबना है कि देश में बेटियों की सुरक्षा और सलामती के सैकड़ों कानून हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है और त्वरित अदालतों का गठन हो रहा है, बावजूद इसके बेटियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा!

हैदराबाद में दुष्कर्म के बाद महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या और उसके शव को जलाने की घटना से देश स्तब्ध, उद्वेलित और मर्माहत है। इस घटना ने 2012 के उस निर्भया कांड की याद दिला दी है जब देश उबल पड़ा था। तब केंद्र सरकार ने लोगों के गुस्से को देखते हुए यौन शोषण से जुड़े कानून में बदलाव के लिए जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की और उनकी सिफारिशों पर कानून में बदलाव किया। उसके बाद बारह साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा तय की गई। मगर देखा जा रहा है कि इसके बावजूद बेटियां दिन के उजाले में भी महफूज नहीं हैं। कड़े कानून के बावजूद बेटियों की अस्मत के लुटेरे हैवान आजाद हैं।

यह घटना महज कुछ शैतानों की दरिंदगी की बानगी नहीं है। यह सरकारी तंत्र और कानून-व्यवस्था की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा और धज्जियां उड़ाने वाली है। सत्ता और समाज भले इस घटना पर छाती पीटे, चीखे-चिल्लाए या आंसू टपकाए, लेकिन सवाल जस का तस है कि इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता जब अपराधियों के मन में कानून को लेकर खौफ पैदा होता। फर्क तब पड़ता जब नुमाइंदे बेटियों की सुरक्षा और सलामती की गारंटी देते और बेहतर कानून-व्यवस्था का इंतजामात करते। फर्क तब पड़ता जब अदालतें गुनाहगारों को उनके किए की सजा देतीं। मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। मतलब साफ है कि सब कुछ औपचारिकता भर है। यही वजह है कि देश में प्रतिदिन पांच दर्जन से अधिक बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और सैकड़ों महिलाएं छेड़छाड़ का शिकार बन रही हैं। एक सच्चाई यह है कि अधिकांश मामलों में पुलिस पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती है और दूसरा यह कि लोक-लाज के कारण लोग मुकदमा दर्ज कराने से बचते हैं। यहां समझना होगा कि जब तक यौन उत्पीड़न के मामले में शत-प्रतिशत गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी या कानून की धीमी चक्की तेज नहीं होगी, तब तक बेटियों पर अत्याचार का सिलसिला थमने वाला नहीं है।

आंकड़ों पर गौर करें तो दुष्कर्म के मामलों में सजा की दर बेहद कम है। चिल्ड्रेन फाउंडेशन की ओर से बाल यौन उत्पीड़न पर जारी रिपोर्ट में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार विगत कुछ वर्षों में बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं में चौरासी प्रतिशत वृद्धि हुई है। जाहिर है कि कानून और पुलिस तंत्र अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है।

आंकड़े बताते हैं कि पुलिस को 2017 में 46,965 मामलों की जांच करनी थी। इनमें 14,406 मामले पहले से लंबित थे और 32,559 नए दर्ज हुए। पुलिस ने इनमें से 4364 केस बंद कर दिए और 28750 में चार्टशीट लगाई। बाकी 13,765 मामले लंबित छोड़ दिए। दुष्कर्म के बाद हत्या के मामलों में भी 2016 में एक सौ आठ मामले लंबित थे। 2017 में दो सौ तेईस नए मामले दर्ज हुए।

अदालतों की बात करें, तो 2017 में निचली अदालतों में दुष्कर्म के 1,46,201 मामले थे, जिनमें से 1,17,451 मामले लंबित थे। इनमें ट्रायल कोर्ट में सिर्फ 18099 मामलों में सुनवाई हो सकी। 5,822 यानी 32.2 प्रतिशत मामलों में ही दोष सिद्ध हुए। वर्ष 2016 में यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून पोस्को के तहत 48060 मामले जांच के लिए दर्ज किए गए, जिनमें से सिर्फ 30851 मामले सुनवाई के लिए अदालत भेजे गए। यानी छत्तीस प्रतिशत मामले जांच के लिए लंबित रह गए। वर्ष 2014-16 के दौरान पोस्को के तहत सिर्फ तीस प्रतिशत दोष सिद्ध हुए। हालांकि राहत की बात यह है कि 2015 के मुकाबले छह प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आंकड़ों पर गौर करें तो 2006 में यौन उत्पीड़न के मामले में सजा की दर 51.8 प्रतिशत, 2007 में 49.9, 2008 में 50.5 और 2009 में 49.2 प्रतिशत रही। यह रेखांकित करता है कि अदालतों में यौन शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई की गति बेहद सुस्त है और सजा की दर भी कम है। ऐसे में अपराधियों के मन में स्वाभाविक ही कानून को लेकर भय नहीं है। इन आंकड़ों से साफ है कि बलात्कार के अधिकतर मामलों में अपराधी सजा से बच निकल जा रहे हैं। महिलाओं पर होने वाले समग्र अत्याचारों में केवल तीस प्रतिशत गुनहगारों को सजा मिल पाती है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक बाल यौन

उत्पीड़न के लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर इसकी सुनवाई इसी गति से चलती रही तो 2018 तक के लंबित मामलों को ही निपटाने में तीन दशक लग जाएंगे।

राज्यवार आंकड़ों पर गौर करें तो पंजाब में लंबित मामलों को निपटाने में दो वर्ष, जबकि गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में इनका निपटारा होने में साठ वर्ष से भी ज्यादा समय लग सकता है। वर्ष 2015 और 2016 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मात्र दस प्रतिशत मामलों की सुनवाई पूरी हो सकी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में डेढ़ लाख से अधिक बलात्कार के मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। जब तक यौन उत्पीड़न के मामले में सजा की दर में वृद्धि नहीं होगी अपराधियों के मन में खौफ पैदा नहीं होगा।

यहां यह भी गौरतलब है कि बेटियां सिर्फ सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं, बल्कि अपने घर-परिवार और रिश्ते-नातेदारों की जद में भी असुरक्षित हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो रिश्तेदारों द्वारा बलात्कार की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। दुष्कर्म की घटनाओं में तकरीबन पंचानबे प्रतिशत मामलों में बेटियां दुष्कर्मी को अच्छी तरह जानती-पहचानती हैं, लेकिन उसके खिलाफ अपना मुंह खोलने से डरती हैं।

यूनिसेफ की रिपोर्ट 'हिडेन इन प्लेन साइट' से उजागर हो चुका है कि भारत में पंद्रह से उन्नीस साल की उम्र की चौंतीस प्रतिशत बेटियां ऐसी हैं, जो अपने साथी के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा झेलती हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि पंद्रह से उन्नीस साल तक की उम्र वाली सतहत्तर प्रतिशत बेटियां यौन हिंसा का शिकार हुई हैं। इसी तरह पंद्रह से उन्नीस साल की उम्र की लगभग इक्कीस प्रतिशत बेटियां पंद्रह साल की उम्र से ही हिंसा झेल चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, उनके साथ शारीरिक हिंसा करने वालों में पारिवारिक सदस्य, मित्र, जान-पहचान के व्यक्ति और शिक्षक होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा वाशिंगटन स्थित संस्था 'इंटरनेशनल सेंटर पर रिसर्च ऑन वुमेन' (आईसीआरडब्ल्यू) के आंकड़ों से भी जाहिर हो चुका है कि भारत में दस में से छह पुरुषों ने कभी न कभी अपनी पत्नी या प्रेमिका के साथ हिंसक व्यवहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बावन प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें किसी न किसी तरह की हिंसा का सामना करना पड़ा है। इसी तरह अड़तीस प्रतिशत बेटियों ने घसीटने, पिटाई, थप्पड़ मारे जाने तथा जलाने जैसे शारीरिक उत्पीड़नों का सामना करने की बात स्वीकार की है। जाहिर है कि उदार और संवेदनशील कहा जाने वाला भारतीय समाज अब पूरी तरह संवेदनहीन बन चुका है। जो भारतीय समाज कभी अपनी सहिष्णुता, सहृदयता और दयालुता के लिए जाना जाता था वह आज अपनी नृशंसता, हिंसा, दुष्कर्म और संवेदनहीनता से इंसानी रिश्तों और मानवीय मूल्यों को तार-तार कर रहा है। विडंबना है कि देश में बेटियों की सुरक्षा और सलामती के सैकड़ों कानून हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है और त्वरित अदालतों का गठन हो रहा है, बावजूद इसके बेटियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा!

ज्ञान की घुमक्कड़ी

घनश्याम कुमार देवांश

दुनिया मेरे आगे

आज के समय में जब हवाई जहाज हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में कुछ घंटों में ही पहुंचा देते हैं तो पीछे मुड़ कर देखने पर यकीन नहीं होता कि कभी ऐसा वक्त रहा होगा कि यात्रा के लिए लोगों के पास साइकिल तक नहीं होती थी। आखिर साइकिल भी आधुनिक युग की देन है। जमीन पर घोड़े और ऊंट और पानी में नावों से ही काम चलाना पड़ता था। वह भी तमाम मुसीबतों और दिक्कतों का सामना करते हुए। लेकिन यह भी कमाल की बात है कि इंसान घूमने के मामले में इतना जुनूनी रहा है कि उसने सुख-सुविधाओं की तो बात ही क्या, साधनों के अभाव की भी रत्ती भर परवाह नहीं की। हिमालय की दुर्गम यात्रा करने वालों, सुदूर एशिया और अफ्रीका के रहस्यों को खोजने वालों और भूमध्यसागर के तूफानों से टकराने वाले हजारों-लाखों यात्रियों ने अपनी जान तक गंवा दी होगी, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। इस तरह दुनिया के लोगों ने जाना कि धरती के अलग-अलग हिस्सों में क्या है।

लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इंसान हमेशा से घुमक्कड़ ही रहे हैं। अधिकतर लोगों ने अपने इलाके से बाहर निकलना कभी पसंद नहीं किया। इसके पीछे उनकी भीरुता भी रही और डर भी। जाहिर है, किसी नए अनजान जगह की यात्रा पर निकलना एक जोखिम उठाना ही है। न जाने वहां के लोग कैसे हों, वहां के जीव-जंतु कैसे हों, वहां की जलवायु कैसी हो! और खाना-पीना और पहनावा तो एक समस्या है ही, क्योंकि जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें उस स्थान के हिसाब से ही पहनना-ओढ़ना पड़ता है और उस इलाके में पाई जाने वाली साग-सब्जियों और अनाजों पर ही निर्भर होना पड़ता है। शायद इंसान इतनी आजादी खोना नहीं चाहता। लेकिन कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। अगर हम अपनी चारदिवारी में मिलने वाली सभी सुख-सुविधाओं, सुरक्षा और आराम को छोड़ कर बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हम बाहर घूमने के आनंद से हमेशा ही वंचित रह जाएंगे।

तो बाहर घूमने जाया ही क्यों जाए? उधर-उधर घूमने या भटकने से आखिर हमें हासिल क्या होगा? इससे हमारे जीवन में या औरों के जीवन में क्या कोई बदलाव आएगा? आइए हम इसपर विचार करें। जब हम कहीं घूमने निकलते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं। और हम जितनी ही दूर जाते हैं उतनी ही अलग अलग तरह की चीजें हमारी निगाहों से गुजरती हैं। जैसे कि हम पाते हैं कि वहां घर और मकान अलग-अलग तरह के हैं। लोगों की भाषाएं अलग हैं और वे अलग-अलग परम्पराओं से जुड़े हुए हैं। उनके व्यवहार और तीज त्योहारों में भी हमें काफी भिन्नता देखने को मिलती है। लोगों के कपड़ों में भी हमें बड़ा अंतर दिखाई देता है। नए इलाकों में रहने वाले जानवरों, कीटों और पक्षियों में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। यहां तक कि मौसम और जलवायु में भी हमें बहुत बदलाव नजर आता है।

अगर हम एक लंबी यात्रा पर थोड़ी संजीदगी के साथ निकलें तो हम पाएंगे कि हमने इतना कुछ बिना पढ़े ही जान सीख लिया है, जिसके लिए शायद हमें कई किताबों को पढ़ने की जरूरत होती। उदाहरण के लिए, अगर हम कश्मीर की एक लंबी यात्रा पर निकलें और वहां के लोगों से मिलते-जुलते कुछ दिन वहां रहें तब ऐसे में हमें वहां कितना कुछ जानने को मिलेगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस इलाके में कृषि यानी खेती कैसे की जाती है और किस-किस तरह के फल-फूल वहां पाए जाते हैं, वहां के किसानों की समस्याएं क्या हैं, वहां के युवा क्या सोचते हैं और भविष्य में क्या करना चाहते हैं आदि।

इसके अलावा, वहां के मौसम और जलवायु के बारे में न केवल हम जान सकते हैं, बल्कि उसे गहराई से अनुभव भी कर सकते हैं। वहां के लोगों के जरिए हम उस इलाके की संस्कृति और मान्यताओं के बारे में भी काफी कुछ जान सकते हैं। उनके कपड़े-गहने, रहने के तौर-तरीके, उनकी रोज की जिंदगी की बारीकियां आदि बहुत कुछ है जो हमें ज्ञान और समझ के मामले में अधिक संपन्न कर सकता है। हर इलाके का अपना एक लोकरंग भी होता है। वहां का नृत्य, गायन, वाद्य, नाट्यशैलियां, काव्य और साहित्य, चित्रकला आदि बहुत कुछ हमें वहां के वातावरण में इधर-उधर बिखरा नजर आएगा और जिसे हम खुद देख कर अनुभूत कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में जानना जाहिर है, हमारे ज्ञान में बहुत कुछ जोड़ सकता है। हां, यह सही है कि इस तरह से घूमने में भी एक सजगता और गंभीरता की जरूरत होती है। वरना संभव है कि हम पूरी दुनिया देख आएं और लौट कर यह कहें कि कुछ खास नहीं देखा। तो क्या अब आप नई यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं?

बेटी बचाओ

आजकल बहुत सारे नेताओं का कहना है कि भारत फिर भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को प्राप्त कर रहा है... भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या अतीत में भी हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति ऐसी ही थी? क्या उस समय भी महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ ऐसी ही अमानवीय घटनाएं होती थीं? धर्मग्रंथों के मुताबिक तो रावण ने भी सीता के साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार करने के बारे में नहीं सोचा। हमने जो पढ़ा है, उसके मुताबिक तो महिलाओं को पूजनीय माना जाता था। यहां तक कि कथा के मुताबिक भगवान राम को भी अपना अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने के लिए सीता की सोने की मूर्ति रखनी पड़ी थी। गार्गी जैसी महान विदुषी को भी अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए पुरुषों से शास्त्रार्थ करना पड़ा था।

दरअसल, तब महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार था और एक आज का समय है, जहां तीन साल की बच्ची भी जिस्म के भूखे दरिंदो से नहीं बच पाती है। अभी तक बेटियों का पैदा होना मुश्किल था और अब बेटियों का जिंदा रहना। अभी तक 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कहते थे, अब 'बेटी बचाओ बेटी छिपाओ'। उसके बाद भी यहां के नेता-अभिनेता शान से कहते हैं कि भारत अपनी भारतीय संस्कृति को फिर से प्राप्त कर रहा है। कुछ लोग आज के दौर की तुलना में रामराज्य की बात करते हैं। क्या ऐसा ही था राम राज्य, जहां महिलाएं स्वतंत्र होकर विचरण करती थीं, जहां बच्चियों को घर की लक्ष्मी समझा जाता था? रावण ने सीता का अपहरण मात्र ही किया था और उसी वजह से उसका अंत हुआ।

आज भरे समाज में बहनों-बेटियों के खिलाफ यौन हिंसा की जा रही है, मासूम बच्चियों तक से बलात्कार किया जा रहा है और सजा बहुत कम मिल पा रही है। हमारा संविधान और इसकी गरिमा बनी रहे। लेकिन इस समस्या पर ध्यान देना हमारा फर्ज है। संविधान का निर्माण लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन उस लोकतंत्र में रहने वाली बेटियां ही सुरक्षित नही है, तो कैसा लोकतंत्र!

अब किसी नेता का यह कहना शोभा नही देता की भारत अपनी पुरातन संस्कृति को प्राप्त कर रहा है... भारत मे राम-राज्य आएगा। पहले आप अपने देश की बेटियों की रक्षा करना सीखें। तब देश के आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा सकेगा।

● *अरिमर्दन सिंह चौहान, शाहजहांपुर, उप्र*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

संकट के सामने

इस पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य द्वारा अपनी हवस और लालच के वशीभूत होकर इतना जबर्दस्त दोहन और इसके साथ-साथ इतना प्रदूषण किया गया है कि अब इस धरती का धैर्य चुक रहा है। वह इसके प्रतिरोधस्वरूप कभी तूफान, कभी अतिवृष्टि, कभी सुनामी, कभी मौसम असंतुलित करके मनुष्य प्रजाति को बार-बार चेतावनी दे रही है। पता नहीं कितनी बार दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इस असंतुलन को ठीक करने के लिए वैश्विक जलवायु सम्मेलन हो चुके, लेकिन कुछ देशों का राष्ट्रीय और आर्थिक स्वार्थ इन सम्मेलनों के उद्देश्य पर पानी फेर देते हैं।

विचारणीय है कि जब इस तरह के असंतुलन से यह धरती विनष्ट होगी, तो वे भी उस लपेटे में जरूर आ जाएंगे, जो आज इन अपरिहार्य सम्मेलनों से बिदक कर अलग सुर अलाप रहे हैं। इसलिए अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव मात्र के हित की सोच पर विचार कर ही कोई निर्णय करना चाहिए। समूची मानवता मैड्रिड में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की सफलता की मंगलकामना कर रही है।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

बेमानी सोच

सांसद और विधायक सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं होते, वे नियम बनाने वाले और देश चलाने वाले भी होते हैं। इसलिए उन्हें अपना हर वक्तव्य काफी सोच-समझ कर देना चाहिए। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सोमवार को संसद में यह कहा कि जिन्होंने हैदराबाद की पशु चिकित्सक से बलात्कार कर उसे जला दिया, उनका मॉब लिंचिंग कर दिया जाना चाहिए। सही है कि जया बच्चन क्रोधित थीं, इसलिए ऐसा कह दिया होगा। मगर उन्हें मॉब लिंचिंग में लगे लोगों की तरह का जैसा बयान देने से बचना चाहिए था। क्या उन्हें नहीं मालूम यह देश कानून और संविधान के प्रावधानों से चलता है? ऐसे में तो अजमल कसाब को भी तुरंत मार देना चाहिए था! मगर ऐसा नहीं किया गया। हमारा देश कोई मध्ययुगीन बर्बरता वाला समाज नहीं है।

हां, कानूनी प्रक्रिया में देर क्यों होती है, इस देरी को कैसे खत्म किया जाए, इस पर सांसदों को मंथन करना चाहिए। केवल कानून कड़ा कर देने और विरोध प्रदर्शनों से पुरुषों की हैवानियत नहीं रुकने वाली। शिक्षा और संपन्नता का विस्तार से भी यह नहीं रुकने वाला है। इसे रोकने के लिए समाज को पितृसत्तात्मक ग्रंथियों और पुरुष वर्चस्व को खत्म करना होगा और इसके लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने होंगे।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

मुश्किल में रेल

संपादकीय 'महंगा परिवहन' (4 दिसंबर) पढ़ा। आम जनता के लिए सस्ता और सुगम साधन है रेल, लेकिन रेलवे लगातार राजस्व की तंगी से जूझ रहा है। बढ़ते व्यय के अनुपात में आय में वृद्धि नहीं हुई है। रेलवे की सौ रुपए की कमाई के लिए 98.44 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। डर है कि कहीं रेलवे का भी निजीकरण न हो जाए। निजीकरण शब्द जो कुछ वर्ष पहले लगभग विशेष मामलों में ही सोचा जाता था, वह अब धीरे-धीरे आम होने लगा है। सरकार को चाहिए कि वे सरकारी सेवाओं को चलाने और बचाने के लिए प्रयास करे। रेलवे को पटरी पर लाने के प्रयास समय की महती आवश्यकता है।

● *साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर*

समस्या की जड़

हैदराबाद में एक युवती से बलात्कार और जला कर हत्या पर पूरे देश में आक्रोश के साथ संसद में भी महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर उबाल है। सवाल है कि अगर बलात्कारियों के खिलाफ फांसी की सजा को नियमित कर दिया जाता है तो क्या पुरुष के मन में महिला को लेकर गंदगी और अपराध समाप्त हो जाएगा। यह सच है कि देश में अपराध कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी महिला सुरक्षित नहीं महसूस सकती है, क्योंकि बलात्कार करने की घिनौनी सोच पुरुष के मन में आमतौर पर बना रहता है। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? लड़कों को मनुष्य बनाने के लिए पाठ्यक्रम से लेकर जागरूकता के स्तर पर जो भी किया जा सकता है, किया जाना चाहिए।

● *रुमा सिंह, मोतिहारी*

www.readwhere.com

गृह विज्ञान अध्ययन काफी व्यापक क्षेत्र है

इस स्ट्रीम के पाठ्यक्रम में विज्ञान और मानविकी के विषय भी शामिल होते हैं। इस कारण इस स्ट्रीम का अध्ययन क्षेत्र काफी व्यापक होता है। इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजियोलॉजी, जीवविज्ञान, साफ-सफाई, अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, बाल विकास, समाजशास्त्र एवं परिवार संबंध, कम्यूनिटी लिविंग, कला, खाद्य, पोषण, कपड़ा, टेक्सटाइल्स और गृह प्रबंधन आदि विषय शामिल होते हैं।

सूचनापट्ट

दाखिले

एयूडी, दिल्ली

आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली (एयूडी) के द स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल आंत्रप्रन्योरशि ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में दाखिले शुरू किए हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को या तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की ओर से आयोजित कैट देनी होगी या फिर उन्हें एयूडी की ओर से एमबीए के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इतना ही नहीं उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकता है ताकि बेस्ट स्कोर के आधार पर उसे दाखिला मिले सके। एयूडी की परीक्षा 23 फरवरी 2020 को आयोजित होगी। सत्र जुलाई 2020 से शुरू होगा।

अंतिम तिथि : 31 दिसंबर, 2019

बीएसडीयू, जयपुर

भारतीय स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय (बीएसडीयू), जयपुर ने बैचलर ऑफ वोकेशन (बीवोक) और मास्टर ऑफ वोकेशन (एमवोक) में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति ब्रिगेडियर (डॉक्टर) एसएस पाब्ला के मुताबिक बीएसडीयू में विद्युत कौशल, मोटर वाहन कौशल, बढ़ई कौशल, निर्माण कौशल, उद्यमिता कौशल, विनिर्माण कौशल, कार्यालय प्रशासन कौशल, धातु निर्माण कौशल, आइटी-नेटवर्किंग कौशल, मशीनलर्निंग एआइ कौशल, आतिथ्य एवं पर्यटन कौशल आदि पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। बीवोक में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को पीसीएम के साथ बारहवीं पास या दसवीं के बाद दो साल की आइटीआइ प्रमाणपत्र होना चाहिए। एमवोक में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी के पास बीवोक, बीटेक (संबंधित क्षेत्र में) होना जरूरी है। विश्वविद्यालय मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी देता है।

अंतिम तिथि : 15 जनवरी, 2020

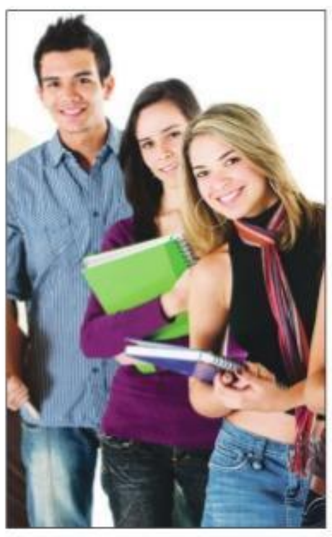

इग्नू, दिल्ली

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में जनवरी सत्र के लिए 150 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इनमें सर्टिफिकेट से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा शामिल हैं। अधिकतर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है लेकिन कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केवल ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के मुताबिक सभी पाठ्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर मौजूद है।

अंतिम तिथि : 31 दिसंबर, 2019

प्रवेश परीक्षा

नीट यूजी-2020

देश के सभी मेडिकल संस्थानों में एबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी परीक्षा 2020) के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन (जिपमेर) में भी इसी परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा। अभ्यर्थी राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) और नीट की संयुक्त आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को 27 मार्च से इस परीक्षा के प्रवेश पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। 3 मई 2020 को एनटीए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। 4 जून को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।

अंतिम तिथि : 30 दिसंबर, 2019

जन्नत से दूर और सपनों के करीब

मीना

हर युवा का अपना संघर्ष होता है, पढ़ाई-लिखाई और करिअर बनाने का रास्ता आसान नहीं होता। बेहतर शिक्षा के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। इस बार हम बात कर रहे हैं उस जमीन से जुड़ी युवाओं से जिसे धरती के स्वर्ग का खिताब मिला है। किस तरह अपने सपने पूरे करने की तैयारियों में जुटी हैं कश्मीर की लड़कियां।

दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमफिल कर रहीं सफुरा कहती हैं कि दिल्ली मेरे लिए घर जैसा है। कश्मीर से बाहर निकले हुए 14 साल हो गए, लेकिन अब तीज-त्योहार पर या फिर किसी खास मौके पर वहां जाती रहती हूं। सफुरा कहती हैं कि मैं शक्ल से दिखने में कश्मीरी नहीं लगती हूं, पर मेरी जो बाकी सहेलियां हैं वे वैसी दिखती हैं। उन्हें कई बार अपने रंग-रूप की वजह से 'टार्गेटेड' होना पड़ता है। मूल रूप से किश्तवाड़ की रहने वाली सफुरा कहती हैं कि दूसरे राज्य में जाने का मतलब हमारे लिए 'कल्चरल शॉक' हो जाता है। अपनी एक जैसी भाषा, जमीन और खाने को छोड़कर बाहर निकलना हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सफुरा कहती हैं कि कश्मीरी लड़कियों को बाहर निकलने पर अपने चेहरे, रूप, रंग और भाषा की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जब वे यहां आती हैं तब उन्हें मौसम के बदलने से, जनसंख्या का ज्यादा होना जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। सफुरा कहती हैं कि जब लड़कियां कश्मीर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें आजादी मिलती है जिसे वे एंजॉय करती हैं। वे महसूस करती हैं कि कश्मीर में लड़कियां अपने घरों में मूव भी नहीं कर सकती हैं। पर यहां आप रात में 12 बजे घूमो, पब में जाओ या इंडिया गेट जाओ...कहीं भी घूमो, कोई रोकने वाला नहीं है। पर कश्मीर में आप एक किलोमीटर भी बाहर निकलती हैं तो आपसे दस सवाल पूछे जाते हैं। वहां के हालात के कारण शाम छह बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकतीं। वैसे कश्मीर लड़कियों की स्वतंत्रता को लेकर बहुत प्रगतिशील हैं। लोग वहां लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं। यहां तक अब वहां के बकरवाल और गुर्जर समुदाय की लड़कियां भी कई किलोमीटर तक पढ़ने जाती हैं। कश्मीर का शैक्षिक ग्राफ बढ़ा है।

सफुरा बताती हैं कि कश्मीर में सुबह नमकीन चाय पी जाती है और यहां मीठी। वहां पोहा नाश्ते में नहीं खाया जाता। यहां तक कि मैं जब पहली बार जामिया पढ़ने आई थी तब कैंटीन में नाश्ते में पोहा मिला था। मैं देखकर समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या है। पर धीरे-धीरे सब चीजों को समझा। किश्तवाड़ के अपने अनुभवों को साझा करते हुए सफुरा कहती हैं कि वहां सब कुछ घर में बनाया जाता है। वाटर सिस्टम है। वहां रोज शाम में रोज रिश्तेदार आते रहते थे, अपनापन लगता था। अब सबको याद करती हूं। सफुरा कहती हैं कि मैं वो अपनापन छोड़ना नहीं चाहती और कश्मीर वापस जाना चाहती हूं। सफुरा यह भी कहती हैं कि कश्मीर की लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होतीं। तो ऐसी जगहों से जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो उनके दिमाग में वो संघर्ष रहता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब लड़कियां कश्मीर से बाहर निकलती हैं तो हालात सामान्य मिलते हैं। हमें थोड़े समय बाहर आने का जो समय मिला है उससे अनुभव लेते हैं। उस वक्त को जीते हैं। खुद को पहचानते हैं। विवादास्पद जगहों से निकली लड़कियों के लिए कई बार बाहर निकलना अच्छा लगता है। क्योंकि वो बाहर निकलकर ही पढ़ सकती हैं। उन्हें कुछ समय के लिए यहां की अपनी सामान्य जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहिए।

फाइल फोटो

कश्मीर की लड़कियां

छब्बीस साल की रूही, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब से एलएलएम कर रही हैं। वे कहती हैं कि कश्मीर से बाहर लोगों ने भ्रांतियां पाल रखी हैं कि वहां की लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं लगा कि कश्मीर में लड़कियों को बहुत बांध कर रखा गया हो। हम खुद चार बहनें हैं और उनमें से कुछ सरकारी नौकरी कर रही हैं तो कुछ पढ़ रही हैं। आपको जीवनसाथी चुनने की आजादी, आपकी अपनी आजादी, कश्मीर में रहना चाहो या नहीं रहना चाहो, संपत्ति का मामला हो, सभी में उन्हें आजादी है। मैं खुद एक कानून की छात्रा हूं, तो मैंने खुद अदालत में जाकर दो-तीन महीने प्रैक्टिस की है। तो हमने वहां भी ऐसा महसूस नहीं किया कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है या आपके एक महिला होने के नाते जितने भी अधिकार हैं सब रख लिए जाते हैं। ये हर परिवार पर निर्भर करता है कि कैसे कोई अपने परिवार में लड़कियों को ट्रीट करता है। पर बतौर कश्मीरी मैं ये कहूंगी कि कश्मीरी लड़की के पास बहुत आजादी है। वो कहती हैं कि अगर कश्मीर में लड़कियों को आजादी नहीं होती तो आज मैं बाहर पढ़ नहीं रही होता। वे कहती हैं कि कश्मीर में कुछ तत्त्वों की वजह से हमें पढ़ने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बाकी कोई भी अपने रिश्तेदार, घर-परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। साथ ही रूही कहती हैं कि पंजाब के लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। यहां पढ़ने-लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती।

रिया कश्मीरी पंडित हैं और अभी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। वे कहती हैं कि हम कश्मीरी प्रवासी हैं। जब मैं पैदा हो गई थी तब हम नोएडा आ गए थे। रिया बताती हैं कि जब वे अपने दादा-दादी से कश्मीर के बारे में सुनती हैं तो पता चलता है अब कश्मीर बहुत बदल गया है। जैसा कश्मीर उनके समय में था अब वैसा नहीं है। वे कहती हैं कि आज अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप कहां से हो और मैं कहती हूं कश्मीर से तो लोगों का जवाब होता है कि अच्छा आप कश्मीरी मुसलिम हो। ऐसे में रिया का सवाल होता है कि क्यों कश्मीर सुनने पर आपको कश्मीरी पंडित नहीं बोला जाता। रिया मानती हैं कि जितनी अपनी आजादी का आनंद मैं उठा पाती हूं वैसे कश्मीर की बेटियां नहीं उठा पातीं।

ये रहीं आपकी सफलता की सीढ़ियां

परामर्श

आप कोई भी हो सकते हैं, जैसे उद्यमी, विद्यार्थी, कलाकार, खिलाड़ी या कोई और लेकिन सभी का लक्ष्य अपने जीवन में सफल होना है। हममें से अधिकतर लोग लगातार सफलता का पीछा भी कर रहे हैं। सभी सफल लोगों में कुछ आदतें एक जैसी होती हैं, जो आपको भी जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। इनमें से कुछ आदतें हम आज आपको बता रहे हैं।

डर को हावी नहीं होने दें : कुछ चीजों से डरना सही है लेकिन डर को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दें। सफलता के मार्ग में आने वाली कुछ रुकावटों में से डर भी एक है। इसीलिए सबसे पहले अपने डर की वजहों को समझें और फिर उनका निदान कर उससे दूर हो जाएं। इससे आप तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे।

कोई विफलता अंतिम नहीं होती : अपने लक्ष्य की बढ़ते समय हमें कई बार विफलता का सामना करना पड़ता है। यह बहुत बुरा अनुभव होता है लेकिन विफलता हमें हर बार कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। इसलिए विफल होने पर परेशान होने की बजाए उससे मिले सबक के लिए आनंद कीजिए। विफलताओं से लगातार सीखना जारी रखिए और एक दिन ये विफलताओं से मिले सबक ही आपको सफलता का स्वाद चखाएंगे।

सकारात्मकता और नकारात्मकता को एक तरह से लीजिए : अगर कोई व्यक्ति आपके सिर्फ सकारात्मक पक्ष के बारे में ही बात करता है तो वह व्यक्ति आपकी अधिक मदद नहीं कर रहा है। आपके नकारात्मक पक्ष बताने वाले लोगों की भी बात उतने ही धैर्य से सुननी चाहिए जितने धैर्य से सकारात्मक पक्ष बताने वालों की बात सुनी थी। आपकी कमजोरियों को बताकर सही मायने में यही आपके हितैषी हैं।

नेता बनें, तानाशाह नहीं : तानाशाह लोगों को काम करने का आदेश देते हैं। नेता लोगों को काम करने की वजह बताते हैं। अगर आप लोगों का नेता के तौर पर नेतृत्व करेंगे तो सफल होंगे। तानाशाह अंत में विफल होते ही हैं। नेतृत्व करना कौशल नहीं बल्कि एक कला है। जितनी जल्दी आप इस कला में पारंगत होते हैं, उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलती है।

जो मन में आए पूछो : सफलता के लिए आपके पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। इसका सबसे बेहतर उपाय है कि आप जिनते अधिक सवाल पूछ सकते हो, पूछो। जब तक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपकी शंका का समाधान नहीं हो पाएगा और आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे। इसलिए सवाल पूछे में कभी भी झिझकिए नहीं।

संतुष्टि को दूर भाएं : कई बार हम लक्ष्य को छूते ही संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते। 99 फीसद लोग इसी तरह के हैं और यही वजह है कि दुनिया के एक फीसद में शामिल नहीं हैं। कुछ लोग बड़ा खिलाड़ी बनना चाहते हैं और कुछ पदक या ट्रॉफी जीतने के बाद खुद को रोक लेते हैं क्योंकि वे संतुष्ट हो जाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप संतुष्टि को दूर भगाएं।

हर सुबह खुद अपना लक्ष्य याद दिलाएं : अधिकतर लोग सफलता के मार्ग पर चलते-चलते अचानक भटक जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर रोज खुद को उस मार्ग के बारे में याद दिलाते रहें। इसके लिए हर सुबह अपने लक्ष्य के बारे में खुद को बताना बेहतर रहता है। इससे आप अपने दिन की योजना उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही बनाएंगे और आपका दिमाग इधर-उधर नहीं भटकेगा।

चुनौतियों से भागें नहीं : आपका लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, उसको प्राप्त करने के मार्ग में उतनी ही अधिक चुनौतियां आएंगी। इसलिए चुनौतियों से भागे नहीं।

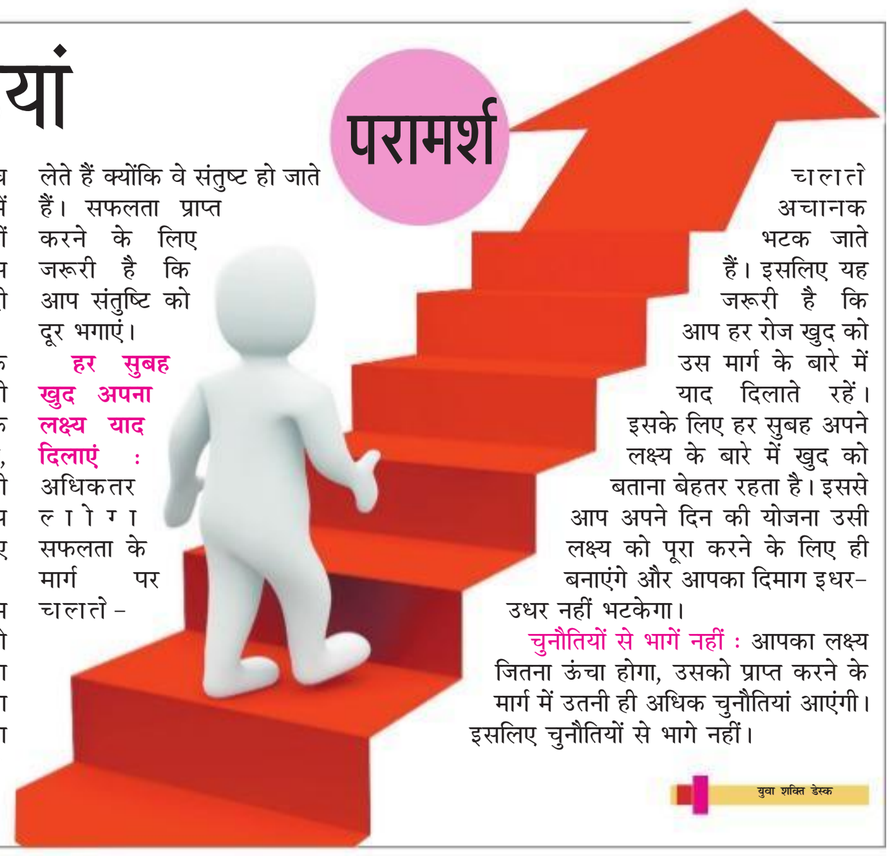

युवा शक्ति डेस्क

गृह विज्ञान से रोजगार की राह आसान

सुशील राघव

बारहवीं पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी स्ट्रीम के बाद गृह विज्ञान भी एक विकल्प के रूप में मौजूद है। करिअर के लिहाज से यह विकल्प विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है। इससे संबंधित कुछ गलत धारणाएं हैं, जो गृह विज्ञान स्ट्रीम में मौजूद अवसरों की जानकारी न होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों में बनी हैं।

योग्यता

विषय के रूप में गृह विज्ञान सीबीएसई और ज्यादातर राज्य बोर्डों में 11वीं और 12वीं कक्षा के स्तर पर उपलब्ध है। कॉलेज के स्तर पर इस विषय की उपलब्धता को देखें तो यह देश के काफी विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इस विषय के साथ बीए या बीएससी डिग्री हासिल की जा सकती है। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से बारहवीं पास होना जरूरी है। कुछ संस्थान स्नातक स्तर पर दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी करते हैं। गृह विज्ञान में स्नातक के बाद फैशन डिजाइनिंग, डाइटिटिक्स, परामर्श, समाज कार्य, विकास अध्ययन, आंत्रप्रन्योरशिप, जन संचार और कैटरिंग टेक्नोलॉजी आदि विषयों में भी स्नातकोत्तर की जा सकती है। इस विषय के विद्यार्थियों के पास बीएड करने का भी विकल्प रहता है।

पाठ्यक्रम

- डिप्लोमा (गृह विज्ञान) ● बीएससी (गृह विज्ञान)
- बीएससी (ऑनर्स) गृह विज्ञान
- बीएचएससी ● बीएससी (ऑनर्स) खाद्य एवं पोषण
- बीएससी (ऑनर्स) मानव विकास
- एमएससी (गृह विज्ञान) ● पीएचडी

अवसर

फाइल फोटो

इस पाठ्यक्रम का लाभ लड़के भी उठा सकते हैं

'गृह विज्ञान' गृह का विज्ञान है जिसके तहत उन सभी चीजों को पढ़ाया जाता है जिससे व्यक्ति, घर, पारिवारिक सदस्य और संसाधन का संबंध होता है। यह एक ऐसी स्ट्रीम है, जिसे भ्रांतिवश सही संदर्भों में न समझकर केवल लड़कियों के लिए मान लिया जाता है। गृह विज्ञान की पढ़ाई में गृह प्रबंधन के प्रशिक्षण के अलावा कई तरह के रोजगारों में उपयोगी कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि यह स्ट्रीम केवल लड़कियों के लिए ही उपयोगी है। इस स्ट्रीम के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण का लाभ लड़के भी रोजगार कुशलता को बढ़ाने में कर सकते हैं।

संस्थान

- दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ● बॉम्बे विश्वविद्यालय, मुंबई
- आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद
- चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
- कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता
- राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
- राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
- नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद
- गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
- सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर

रोजगार के अवसर

- शैक्षणिक या कामकाजी संस्थानों में केटरिंग सुविधा देने का कार्य
- टेक्सटाइल के क्षेत्र में व्यापारी या डिजाइनर
- अनुसंधान और शिक्षण कार्य
- अस्पताल और खाद्य क्षेत्र में पोषण या आहर विशेषज्ञ
- पर्यटन रिजोर्ट, रेस्तरां आदि में हाउस कीपिंग कार्य की देखरेख
- खाद्य उत्पादों के निर्माण और विकास कार्यों का पर्यवेक्षण
- संसाधन प्रबंधन ● समाज कार्य और मानव विकास
- टेक्सटाइल, खाद्य, कंफेक्शनरी आदि क्षेत्र में स्वरोजगार

वेतन

गृह विज्ञान में स्नातक करने वाले उम्मीदवार को शुरुआती तौर पर 2 लाख रुपए सालाना तक पारिश्रमिक मिल सकता है। एक साल के अनुभव के बाद यह वेतन 4 लाख रुपए सालाना तक हो सकता है। शोध, शिक्षण या कैटरिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का अच्छा वेतन मिलता है।

www.readwhere.com